3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा

- 3.1 धोखाधड़ी एवं उद्घटित धोखाधड़ी के प्रकरण;
- 3.2 नियमों एवं विनियमनों का अनुपालन न किया जाना;
- 3.3 औचित्य लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय किये जाने के प्रकरण; एवं
- 3.4 निरीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता।

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा

शासकीय विभागों, उनके क्षेत्रीय कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा में श्रोतों के प्रबंधन में कमियों, औचित्य एवं मितव्ययिता के अनुपालन में विफलता के अनेकों प्रकरण प्रकाश में आये। इन कमियों एवं विफलताओं का प्रस्तुतीकरण उत्तरवर्ती प्रस्तरों में वृहद् शीर्षों के अन्तर्गत किया गया है।

3.1 धोखाधड़ी एवं उद्घटित धोखाधड़ी के प्रकरण

कुछ शासकीय विभागों एवं उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों के वित्तीय लेन–देनों की लेखापरीक्षा की नमूना–जाँच में कपटपूर्ण भुगतान का प्रकरण प्रकाश में आया जिसकी चर्चा अधोलिखित प्रस्तर में की गयी है:

गृह विभाग

3.1.1 ₹ 21.93 लाख की धनराशि का वेतन एवं बकाया वेतन का कपटपूर्ण संवितरण

वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कर्तव्यो एवं उत्तरदायित्वों का अनुपालन न करने के फलस्वरुप ₹ 21.93 लाख की धनराशि का वेतन एवं बकाया वेतन का कपटपूर्ण संवितरण हुआ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 के प्रस्तर 138 के अनुसार कार्यालय प्रमुख अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित देयकों पर आहरित वेतन अथवा भत्ता के प्रत्येक मद के लिये तब तक उत्तरदायी है जब तक कि वह धनराशि की प्राप्ति के लिये हकदार व्यक्ति को अदा न किया गया हो तथा वेतन देयकों के कार्यालय–प्रति पर सम्यक रूप से स्टाम्प सहित, जहां आवश्यक हो, उनकी प्राप्ति न ले ली गयी हो।

कमान्डेन्ट, छठी वाहिनी, प्रान्तीय सशस्त्र बल, मेरठ की पूर्व संव्यवहार लेखापरीक्षा माह दिसम्बर 2010 मे सम्पादित की गयी थी तथा दिनांक 7 अगस्त 2013 को धन के गबन से सम्बन्धित दो व्यक्तिगत शिकायतें इस कार्यालय को प्राप्त हुईं थी। तद्नुसार, कमाण्डेन्ट को दिनांक 19 अगस्त 2013 से दिनांक 27 अगस्त 2013 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा किये जाने की सूचना दिनांक 8 अगस्त 2013 को प्रेषित की गयी थी। अभिलेखो की लेखापरीक्षा जाँच में कपटपूर्ण संवितरण के चार प्रकरण प्रकाश में आएँ:

- माह अक्टूबर 2010 में, माह जनवरी 2006 से माह अक्टूबर 2010 की अवधि के सात देयको से ₹ 72.96 लाख (40 प्रतिशत) की धनराशि का बकाया वेतन आहरित किया गया था और आहरित धनराशि की चेकों को बैंक[1] मे जमा किया गया था। यद्यपि, ₹ 72.96 लाख की धनराशि के चेकों में से 12 कर्मचारियों से संबधित ₹ 2.15 लाख की धनराशि दो से चार बार पाँच बैंक खातो में जमा किया गया था। इसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–3.1ए*** में दिया गया है।

[1] स्टेट बैक आफ इण्डिया, मुख्य शाखा, मेरठ कैन्टोनमेन्ट, मेरठ।

- शासन द्वारा माह नवम्बर 2010 में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के संवर्गों को वेतन समता प्रदान किया गया[2] और तद्नुसार 197 प्लाटून कमाण्डरो, मुख्य आरक्षियों एवं आरक्षियों के बकाया वेतन ₹ 63.53 लाख की धनराशि का एक देयक माह जुलाई 2012 मे कोषागार को प्रेषित किया गया था। प्रेषण के माह में ही कोषागार से उसी धनराशि का एक चेक भी प्राप्त किया गया और 194 प्लाटून कमाण्डरों, मुख्य आरक्षियों एवं आरक्षियों से सम्बंधित विस्तृत सूची बैंक को प्रेषित की गयी थी जिसमें एक कल्पित नाम के लिए ₹ 0.97 लाख दूसरे कर्मचारी[3] के बैक खाते[4] में जमा किया गया जो कि छठी वाहिनी, प्रान्तीय सशस्त्र बल, मेरठ के लेखा शाखा मे कार्यरत था। इस प्रकार आहरित और संवितरित धनराशि समान थी परन्तु बैंक सूची मे चार नाम लुप्त[5] थे क्योंकि बैंक सूची में चार नामों को जोड़ने/हटाने मे हेर–फेर किया गया था।

- माह मार्च 2011 में संशोधित बकाया वेतन के चार देयक ₹ 1.69 करोड़ कोषागार से आहरित किये गये थे और सम्बन्धित कर्मचारियों के बैक[6] खाते मे विस्तृत सूची के साथ चेकों को बैक मे जमा किया गया था। इस प्रकार, सात कर्मचारियों के बैक खातों में ₹ 2.73 लाख की धनराशि को दो बार जमा किया गया था। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–3.1बी*** में दिया गया है।

- माह फरवरी 2011 से माह फरवरी 2012 के दौरान 36 कर्मचारियों से सम्बन्धित वेतन एवं बकाया वेतन ₹ 17.05 लाख की धनराशि आहरित कर उसे दो से छः बार नौ बैंक खातो मे जमा किया गया था। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–3.1सी*** में दिया गया है।

इस प्रकार, वित्तीय नियमो के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यो का पालन न करने के फलस्वरुप ₹ 21.93 लाख की धनराशि का भुगतान उन व्यक्तियों को किया गया जो कि भुगतान प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। इससे वेतन एवं बकाया वेतन ₹ 21.93 लाख की धनराशि का कपटपूर्ण संवितरण हुआ।

कमाण्डेन्ट, छठी वाहिनी, प्रान्तीय सशस्त्र बल, मेरठ द्वारा यह बताया गया (अगस्त 2013) कि बैंक की सूची से चार नामों के अलग करने के प्रकरण की जाँच की जायेगी। अग्रेतर, यह भी बताया गया कि लेखा शाखा में कार्यरत कर्मचारियों[7] के विरूद्ध दिनांक 18 अगस्त 2013 को पुलिस में प्रकरण पंजीकृत करा दिया गया है और प्रकरण की जाँच प्रगति में है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रारम्भ किये जाने की सूचना प्राप्त होने के दस दिन पश्चात् एवं लेखापरीक्षा कार्य प्रारम्भ किये जाने (दिनांक 19.8.2013) के मात्र एक दिन पूर्व ही की गयी कार्यवाही विलम्ब से की गयी कार्यवाही थी। यद्यपि प्रकरण तीन वर्ष से अधिक पुराना था। प्रकरण की अग्रेतर जाँच कराए जाने की आवश्यकता है और कपटपूर्ण संवितरण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कठोर कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए।

माह नवम्बर 2014 में हुई चर्चा में शासन द्वारा आँकड़ों एवं तथ्यों को स्वीकार किया गया और यह बताया गया कि प्रकरण की वर्तमान स्थिति के साथ–साथ आपराधिक और विभागीय कार्यवाहियों से लेखापरीक्षा को अवगत कराने का निर्देश सम्बन्धित इकाई को दिया गया है।

[2] संख्याः 3699/छः–पु–1–10–148/2008 दिनांक 28 नवम्बर, 2010।
[3] श्री पन्थ राम।
[4] स्टेट बैंक आफ इण्डिया, मुख्य शाखा, मेरठ कैन्टोनमेन्ट, मेरठ।
[5] तीन लुप्त नाम और एक नकली नाम जोडा गया।
[6] स्टेट बैंक आफ इण्डिया, मुख्य शाखा, मेरठ कैन्टोनमेन्ट, मेरठ।
[7] मुकेश कुमार, मनोज कुमार सिरोही, नरेश कुमार, अन्जु कुमारी एवं पन्थ राम।

3.2 नियमों एवं विनियमनों का अनुपालन न किया जाना

उचित वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताएँ, दुर्विनियोग एवं धोखाधड़ी को रोकता है बल्कि वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए सहायक भी होता है। नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किये जाने के कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

राजस्व विभाग

3.2.1 परिहार्य व्यय

कृषकों को दुर्घटनाओं के बीमा आच्छादन प्रदान किये जाने हेतु, वर्ष 2010–14 की अवधि में, बीमा कम्पनी से अनुबन्ध न करने व दुर्घटना दावों का शासन द्वारा स्वयं भुगतान करने/दायित्व सृजित किये जाने के कारण ₹ 301.36 करोड़ का परिहार्य व्यय/दायित्व सृजन हुआ।

शासन द्वारा वर्ष 2004–05 में किसानों[8] को व्यक्तिगत बीमा आच्छादन[9] प्रदान करने के उद्देश्य से कृषक दृर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ की गयी थी। योजनान्तर्गत शासन द्वारा बीमा कम्पनी को वार्षिक बीमा प्रीमियम देय था तथा बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को मृत्यु, स्थायी रूप से विकलांग होने आदि की दशा में बीमित धनराशि देय थी।

कार्यालय जिलाधिकारी, पीलीभीत के अभिलेखों की जाँच तथा कार्यालय आयुक्त सह सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ से संकलित सूचना (मार्च 2014) से यह ज्ञात हुआ कि शासन द्वारा माह सितम्बर 2009 से माह सितम्बर 2010 की अवधि के लिये बीमा कम्पनियों से माह सितम्बर 2009 में निविदायें आमंत्रित की गयी थी। निविदा आमंत्रण सूचना में बीमा कम्पनियों को निविदा के साथ–साथ धरोहर धनराशि भी जमा किया जाना आवश्यक था। यद्यपि, निविदा में भाग लेने वाली बीमा कम्पनियों द्वारा धरोहर राशि जमा नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, अनुबंध का गठन नहीं किया जा सका। शासन ने माह अक्टूबर 2009 में धरोहर राशि जमा करने की शर्त की छूट प्रदान की (नवम्बर 2009) और ओरिएन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड के साथ अनुबंध गठित किया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार शासन द्वारा ओरिएन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड को ₹ 54.60 करोड़ का बीमा प्रीमियम देय था। अनुबंध गठन में विलम्ब (दो माह) के कारण दिनांक 16 सितम्बर 2009 से दिनांक 18 नवम्बर 2009 तक की अवधि बीमा आच्छादन से संरक्षित नहीं रही और जिसके फलस्वरुप शासन द्वारा ₹ 14.20 करोड़ बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिये बीमा प्रीमियम हेतु प्रावधानित बजट से 1,482 लाभार्थियों/दावेदारों को बीमा दावे का भुगतान किया गया। शासन ने अवशेष प्रीमियम ₹ 5.47 करोड़ (₹ 54.60 करोड़ मे से) ओरिएन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड द्वारा बार–बार निवेदन (माह जुलाई 2010 और माह अक्टूबर 2010) किए जाने के बावजूद भी भुगतान नही किया जिसके कारण ओरिएन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड द्वारा माह अक्टूबर 2010 और माह नवम्बर 2010 के दावो का भुगतान[10] नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, शासन द्वारा बीमा प्रीमियम हेतु प्रावधानित बजट से लाभार्थियों/दावेदारों को ₹ 2.14 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया।

[8] किसानों (12 से 70 वर्ष के आयु समूह के) जिनका नाम शासकीय अभिलेखों की खतौनी मे कृषि भूमि के मालिक के रूप में अंकित हो।

[9] अप्रैल 2012 से मृत्यु, स्थायी विकलांगता, दो बाहों की क्षति, दो पैरों या दो आँखो या एक बाह और एक पैर की क्षति होने की धटना पर ₹ एक लाख को संशोधित कर ₹ पाँच लाख कर दिया गया है।

[10] 13 अक्टूबर 2010 से 18 नवम्बर 2010।

जाँच मे यह भी पाया गया कि शासन द्वारा मात्र वर्ष 2010–11 (माह नवम्बर 2010) एवं वर्ष 2012–13 (दिसम्बर 2012) को छोड़कर, वर्ष 2010–14 की अवधि मे बीमा कम्पनियों से निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। आमंत्रित निविदायें भी निविदाकर्ता द्वारा शर्तों एवं मानकों के पूर्ण न होने के कारण अन्तिमीकरण तक नही पहुँच पायीं। परिणामस्वरूप, शासन द्वारा 2010–14 की अवधि में ₹ 563.68 करोड[11] का बजट प्रावधान किया गया एवं प्रावधानित धनराशि ₹ 563.68 करोड़ में से ₹ 562.35 करोड़[12] की धनराशि 14,317 लाभार्थियों/दावेदारों[13] को बीमा दावों के भुगतान पर की गयी।

अग्रेतर, जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2004–05 में कृषक दृर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने से वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 तक शासन द्वारा ₹ 160.49 करोड़ का अनुबन्ध बीमा कम्पनियों से गठित किया गया था जिसके सापेक्ष बीमा कम्पनियों द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थियों/दावेदारों को ₹ 229.65 करोड़ का भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–3.2*** में दिया गया है। परिणामस्वरूप, शासकीय राजकोष में ₹ 69.16 करोड़ की बचत हुयी थी।

इस प्रकार, वर्ष 2010–14 की अवधि मे बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिये बजटीय प्रावधान के बावजूद, शासन द्वारा बरती गयी शिथिलता के कारण बीमा कम्पनियों के साथ अनुबन्ध गठित न करने के कारण ₹ 301.36 करोड़[14] की धनराशि का दावेदारों को परिहार्य भुगतान/दायित्व सृजन करना पड़ा जो कि वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 की अवधि के समय ही अनुबन्ध गठित कर बचाया जा सकता था।

शासन द्वारा माह नवम्बर 2014 में हुई चर्चा में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये यह बताया गया कि वर्ष 2014–15 के लिये निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जायेगी।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

3.2.2 निधि का दुरूपयोग

भू–प्रतिकर की धनराशि ₹ 2.21 करोड़ का अनियमित आहरण कर बैंक ड्राफ्ट के रूप में शासकीय लेखों से पृथक रखना तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर अनुरक्षण कार्यो पर ₹ 2.03 करोड़ का दुरूपयोग।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 174(10)107(5) एवं 108 के प्रावधान के अनुसार कोई भी धनराशि कोषागार से तब तक आहरित न की जाय जब तक कि ऐसी धनराशियों की तत्काल भुगतान हेतु आवश्यकता न हो और नियंत्रण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि विनियोजन की धनराशि या उसके अंश को जिसकी वर्ष के दौरान आवश्यकता न हो, जैसे ही उसके बचत या व्यपगत होने का पूर्वाभास हो तो उसे समर्पित कर दिया जाना चाहिए।

ललितपुर जनपद में 3,141 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन ने जमरार बांध परियोजना के निर्माण हेतु ₹ 60.10 करोड़ की प्रशासनिक एवं

[11] वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के लिये क्रमशः ₹ 1,272.75 लाख + ₹ 7,000 लाख + ₹ 7,000 लाख + ₹ 41,095 लाख = ₹ 56, 367.75 लाख अर्थात् ₹ 563.80 करोड़।

[12] वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के लिये क्रमशः ₹ 1,269.75 लाख + ₹ 6,984 लाख + ₹ 69.89 लाख + ₹ 40,991.75 लाख = ₹ 56,234.50 लाख अर्थात् ₹ 562.35 करोड़।

[13] वर्ष 2010–13 की अवधि का।

[14] शासन द्वारा भुगतानः 562.35 करोड़ + 14.20 करोड़ + 2.14 करोड़ = 578.69 करोड़ + 2012–2014 की अवधि में दायित्व सृजनः 377.87 करोड़ = 956.56 करोड़ – 655.20 करोड़ (कल्पित बीमा प्रीमियम का भुगतान यदि शासन द्वारा कम्पनी के साथ अनुबन्ध गठित किया गया होता) = 301.36 करोड. (परिहार्य व्यय)।

वित्तीय स्वीकृति (अगस्त 2008) प्रदान की। शासनादेश में विशेष रूप से इंगित किया गया था कि स्वीकृत धनराशियों का व्यय केवल परियोजना के अनुमोदित कार्यो पर किया जाय। किसी भी विचलन की स्थिति में प्रमुख अभियंता एवं संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड, माताटीला, ललितपुर के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2012) एवं सूचनाओं के संकलन (मई 2014) में पाया गया कि परियोजना हेतु 929.865 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी जिसमें से खण्ड द्वारा अप्रैल 2014 तक ₹ 12.27 करोड़ मूल्य की 259.946 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गयी। किसानों को भू–प्रतिकर के भुगतान हेतु वर्ष 2008–12 के दौरान 89.437 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 2.21 करोड़ मूल्य के 260 बैंक ड्राफ्ट बनवाये गये परन्तु, भूमि के बढ़े हुए मूल्य (दरें प्रथम बार ₹ 80,000/90,000 प्रति एकड़ से ₹ 1,00,000 प्रति एकड़ माह जून 2009 में संशोधित की गयी तथा पुनः इसे बढ़ाकर माह अगस्त 2010 में ₹ 1,30,000 प्रति एकड़ कर दिया गया) के कारण उक्त बैंक ड्राफ्ट किसानों को वितरित नही किये गये एवं अप्रैल 2012 तक खंड के पास पड़े थे। इन परिस्थितियों में उक्त बैंक ड्राफ्टों को निरस्त कराकर उनकी धनराशियों को शासकीय लेखों के सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना चाहिए था।

अग्रेतर यह भी संज्ञान में आया कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा अप्रैल से जुलाई 2012 के मध्य पुराने बैंक ड्राफ्टों को निरस्त कराकर वर्ष 2012–13 में कार्यादेशों के माध्यम से कराये गये अनुरक्षण कार्यों पर, ठेकेदारों को नये बैंक ड्राफ्टों को तैयार करवाकर (अप्रैल से जुलाई 2012) ₹ 2.03 करोड़ का भुगतान उन निधियों से किया गया था जिन्हें भू–प्रतिकर के मद में अंतिम रूप से लेखाबद्ध किया जा चुका था (सितम्बर 2008 से दिसम्बर 2011)। परियोजना की सम्पूर्ण अवधि हेतु अनुरक्षण कार्यो के लिए स्वीकृत ₹ 28.65 लाख के सापेक्ष ₹ 2.03 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया गया था। इस प्रकार, वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कोषागार से ₹ 2.21 करोड़ का अनियमित आहरण और अनुरक्षण कार्यो पर ₹ 2.03 करोड़ का दुरूपयोग हुआ।

अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और बताया कि भूमि के बढ़े हुए मूल्य के कारण बैंक ड्राफ्टों को रदद् किया गया और तद्नुसार अनुरक्षण कार्य हेतु ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए नये बैंक ड्राफ्ट बनवाये गये। तथ्य यथावत रहा कि ₹ 2.03 करोड़ का अनियमित आहरण कर अनुरक्षण कार्यो पर व्यय किया गया था।

वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ो को स्वीकार करते हुए बताया की संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर लिया गया है और संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।

3.2.3 शासन को हानि

प्रतिशतता प्रभार के अधिरोपण में वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना के कारण अक्टूबर 2014 तक शासन को ₹ 4.36 करोड़ की हानि।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–छः के प्रस्तर 635 एवं 636 में निक्षेप कार्यों पर प्रतिशतता प्रभार[15] का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग द्वारा अशासकीय संगठनों एवं स्थानीय निकायों के कार्यो के सम्पादन हेतु कार्य की लागत पर 12.5 प्रतिशत की दर से जिसमें एक प्रतिशत लेखा एवं लेखापरीक्षा शुल्क सम्मिलित है, प्रतिशतता प्रभार अधिरोपित करने हेतु शासन द्वारा निर्देशित (फरवरी 1997 और जनवरी 2011)[16] किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निमार्ण खण्ड–2, झांसी के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर– नवम्बर 2013) में पाया गया कि पारीक्षा जलाशय से पारीक्षा थर्मल पावर स्टेशन को जलापूर्ति हेतु, शासन द्वारा गुरूसहाय मुख्य नहर की सीमेन्ट कान्क्रीट लाइनिंग की एक परियोजना को ₹ 34.90 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति (अगस्त 2008) प्रदान की गयी। परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित थी और कार्य को सिंचाई विभाग के तीन खण्डों (सिंचाई निर्माण खण्ड–1, झाँसीः किमी 0.000 से 16.000, सिंचाई निर्माण खण्ड–2, झाँसीः किमी 16.000 से 34.500 एवं झाँसी खण्ड बेतवा नहर, झाँसीः किमी 34.500 से 52.000) द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में सम्पादित किया जाना था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा सिंचाई विभाग को जून 2008 और मई 2011 के मध्य ₹ 34.90 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों में निहित प्रावधानानुसार एक वाणिज्यिक संस्था होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश सरकार की कम्पनी) से कार्य की कुल लागत के 12.5 प्रतिशत की दर से ₹ 4.36 करोड़ की धनराशि प्रतिशतता प्रभार के अधिरोपण एवं वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों में निहित प्रावधानों के विपरीत खण्डो द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए कराये गये कार्यो पर प्रतिशतता प्रभार ₹ 4.36 करोड़ का अधिरोपण नहीं किया गया था। परियोजना के पुनरीक्षण की स्वीकृति लम्बित होने के कारण कार्य अपूर्ण था और अक्टूबर 2014 तक तद्नुसार प्रतिशतता प्रभार ₹ 4.06 करोड़[17] की वसूली किये बिना परियोजना पर ₹ 32.47 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2013) कि दोनों विभाग शासन के अधीन है, अतः प्रतिशतता प्रभार के अधिरोपण का प्रावधान नही किया गया। उत्तर सत्य नहीं था क्योंकि शासनादेशों (फरवरी 1997 तथा जनवरी 2011) में स्पष्ट उल्लेख है कि सिंचाई विभाग द्वारा वाणिज्यक विभागों के लिये कराये गये निक्षेप कार्यो पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशतता प्रभार का अधिरोपण किया जाना चाहिए। चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार की कम्पनी है, अतः उस पर प्रतिशतता प्रभार का अधिरोपण किया जाना चाहिये था।

[15] निक्षेप कार्यो में स्थापना,यन्त्र एवं संयत्र तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में भारित धनराशि यदि कोई हो, को प्रतिशतता प्रभार/सेन्टेज चार्ज माना जाता है।

[16] संख्या अ–2–87/दस–97–17(4)–75 दिनांक 27–02–1997 एवं शासनादेश दिनांक 25–01–2011।

[17] ₹ 32.47 करोड़ का 12.5 प्रतिशत= ₹ 4.06 करोड़।

शासन ने वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान आँकड़ों एवं तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि पुनरीक्षित परियोजना में प्रतिशतता प्रभार का प्रावधान किया जायेगा। जाँचोपरान्त, प्रतिशतता प्रभार सम्मिलित न किये जाने हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। परियोजना का पुनरीक्षण अभी किया जाना था तथा जाँच परिणामों पर निगरानी रखी जायेगी।

3.2.4 ₹ 87.08 करोड़ का अलाभकारी व्यय

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना लखेरी बाँध के निर्माण पर ₹ 87.08 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–छः के प्रस्तर 378 में निहित प्रावधान के अनुसार ऐसी भूमि पर कोई कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक की उत्तरदायी सिविल अधिकारियों द्वारा उसकी उपलब्धता सुनिश्चित न करा दी जाय।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड–5 , झाँसी (अधिशासी अभियन्ता) के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2013) में पाया गया कि खरीफ फसल के लिये 1,188 हेक्टेयर एवं रबी फसल के लिये 1,980 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, शासन द्वारा लखेरी बांध (बांध) परियोजना (झाँसी में) को ₹ 20.37 करोड़ लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2003)। सामग्रियों एवं श्रम की दरों में वृद्धि एवं विलम्ब से कार्य शुरू (नवम्बर 2004) किये जाने के कारण परियोजना लागत को ₹ 66.52 करोड़ पर पुनरीक्षित (फरवरी 2006) किया गया, जिसे पुनः विस्तृत परिकल्प में नई कार्य मदों को सम्मिलित किये जाने, श्रमिकों एवं सामग्रियों की दरों में वृद्धि एवं पुनर्वास कार्यो की लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण ₹ 87.08 करोड़ तक पुनरीक्षित किया गया (सितम्बर 2008)। बांध का निर्माण कार्य ₹ 87.08 करोड़ के व्ययोपरान्त मार्च 2010 में पूर्ण किया गया।

यद्यपि, 37.248 हेक्टेयर भूमि की अनुपलब्धता के कारण दो ग्रामो (बुढ़ाई एवं रेवन) के विस्थापितों को जो बांध एवं जलाशय के निर्माण के डूबे क्षेत्र में थे, जून 2014 तक पुर्नवासित नहीं किया जा सका था । भू/भवन प्रतिकर हेतु बनवाये गये ₹ 59.60 लाख के बैंक ड्राफ्ट (अगस्त 2009 से अप्रैल 2011 के मध्य आहरित) पंजीकरण शुल्क की अनुपलब्धता के कारण खण्ड में अवितरित पड़े थे क्योंकि पुनरीक्षित परियोजना की स्वीकृति लंबित थी (नवम्बर 2014) जबकि उक्त बैंक ड्राफ्टों की धनराशि को परियोजना के अंतिम व्यय में सम्मिलित (अगस्त 2009 से अप्रैल 2011) कर लिया गया था। इन दो ग्रामों के निवासियों के पुनर्वासित नहीं होने से बांध को भरा नहीं जा सका जिसके कारण परियोजना कार्य पूर्ण (मार्च 2010) होने के चार वर्षो से अधिक अंतराल के पश्चात भी लक्षित भूमि में सिंचाई के उद्देश्य की पूर्ति नही हो सकी। इस प्रकार बांध के निर्माण में ₹ 87.08 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013 एवं मार्च 2014) कि परियोजना के शेष कार्यो को स्वीकृति के उपरान्त पूर्ण कराया जायेगा जो परियोजना को लाभकारी बनायेगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रभावित ग्रामों के पुर्नवास हेतु भूमि का अधिग्रहण बांध निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व किया जाना आवश्यक था। यह भी कि परियोजना की लागत को दो बार पुनरीक्षित किया गया परन्तु प्रभावित ग्रामों के पुर्नवास हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार लक्षित सिंचाई सुविधा का लाभ जन सामान्य को नहीं मिल सका, परिणामस्वरूप ₹ 87.08 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान शासन ने आंकड़ो एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि पुनरीक्षित परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात् परियोजना से लाभ प्राप्त हो सकेगा।

3.2.5 शासन को हानि

गैर सिंचाई कार्य हेतु जल आपूर्ति के लिए जल नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार अनुबन्ध का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण शासन को ₹ 42.28 करोड़ की हानि।

गैर–सिंचित कार्यों पर जल की आपूर्ति के लिए नीति का निर्धारण करते समय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ₹ 50,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष रायल्टी की दर (अप्रैल 1985) तथा ₹ 3.12 प्रति हजार घन फीट जल मूल्य (अक्टूबर 1988) निर्धारित किया गया था। रायल्टी की दर ₹ 1,50,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष मई 1998[18] में संशोधित की गयी तथा पुनः रायल्टी की दर ₹ 6,00,000 एवं जल मूल्य की दर ₹ 12.48 प्रति हजार घन फीट माह जुलाई 2011[19] में बढ़ायी गयी। उपभोक्ता से जल मूल्य की वसूली के लिए विशेष रूप से यह निर्देशित किया गया था (अप्रैल 1985) कि प्रांरभिक दस वर्षो के लिए सिंचाई विभाग तथा उपयोगकर्ता विभाग/एजेंसी के मध्य अनुबन्ध गठित किया जायेगा। दस वर्षो के पश्चात् आगामी दस वर्षो के लिए एक नया अनुबन्ध गठित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता, हेड वर्क्स खण्ड, आगरा नहर, ओखला नई दिल्ली के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2013) में पाया गया कि आगरा नहर से बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, नई दिल्ली को मार्च 1989 से वर्तमान तक गैर–सिंचित कार्य हेतु जल आपूर्ति किया जा रहा था। लेकिन शासन के निर्देशों के विपरीत नवम्बर 2014 तक सिंचाई विभाग एवं बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के मध्य कोई अनुबन्ध गठित नहीं किया गया था। अग्रेतर, सिंचाई विभाग द्वारा आपूर्तित एवं बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा उपयोगित जल की मात्रा पर प्रारम्भ से ही सिंचाई विभाग एवं बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था। आपूर्तित एवं उपयोगित जल की मात्रा के प्रकरण का समाधान करने के लिए जुलाई 1996 एवं दिसम्बर 2007 के मध्य विभिन्न अध्ययन[20] किये गये। इन अध्ययनों में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा उपभोग किये गये जल की मात्रा में 48.60 क्यूसेक से लेकर 246 क्यूसेक तक की भिन्नता थी। यद्यपि, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की द्वारा आंकलित 48.60 क्यूसेक जल की मात्रा के उपभोग को स्वीकार किया गया (मार्च 2008) तथा उस मात्रा के लिए रायल्टी की धनराशि ₹ 84.61 लाख का भुगतान किया गया (मार्च 2008) परन्तु उपभोगित जल के मूल्य का भुगतान नही किया गया। सिंचाई विभाग प्रस्ताव से सहमत नहीं था। तत्पश्चात दोनों पक्षो की संयुक्त बैठक (मार्च 2011) में प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग द्वारा वास्तविक जल निस्सरण के मापन हेतु दो अधीक्षण अभियंताओं[21] की एक कमेटी गठित (मार्च 2011) की गयी। कमेटी द्वारा मापित जल निस्सरण (15 मार्च 2011 से 25 अप्रैल 2011) तथा शासन की नीति के आधार पर प्रमुख सचिव द्वारा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन से जल आपूर्ति के प्रारम्भिक तिथि से जल उपभोग की मात्रा 59.02 क्यूसेक प्रति वर्ष मानते हुए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज

[18] ओएम संख्याः 1192 दिनांक 26.05.1998।
[19] ओएम संख्याः 2953 दिनांक 15.07.2011।
[20] सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की द्वारा अगस्त 2006 (92.53 क्यूसेक) आई.आई.टी. कानपुर द्वारा जनवरी 2006 (176 से 246 क्यूसेक), तथा आईआईटी, रूड़की द्वारा नवम्बर 2007 (48.60 क्यूसेक) में सम्पादित।
[21] अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन वृत्त–आठ, लखनऊ तथा अधीक्षण अभियंता–तृतीय वृत्त, सिंचाई निर्माण कार्य, आगरा।

सहित रायल्टी एवं जल मूल्य की वसूली का आदेश (अप्रैल 2011) दिया गया था। खण्ड द्वारा कुल ₹ 42.28 करोड़ (नवम्बर 2014) की धनराशि जिसमें रायल्टी की अवशेष धनराशि ₹ 1.45 करोड़, जल मूल्य की अवशेष धनराशि ₹13.38 करोड़ तथा उन पर 1 मार्च 1989 से 30 सितम्बर 2014 तक की अवधि के ब्याज की धनराशि ₹ 27.45 करोड़ सम्मिलित थी, की मांग की गयी। यद्यपि बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा मॉग को स्वीकार नहीं किया गया तथा पुनः जल उपभोग की मात्रा 48.60 क्यूसेक ही स्वीकार की गयी। इस प्रकार आपूर्तित एवं उपभोगित जल की मात्रा के लिए किसी परस्पर सहमत मापन तंत्र के अभाव में शासन को नवम्बर 2014 तक ₹ 42.28 करोड़ की हानि उठानी पड़ी, जिसमें प्राप्ति होने तक और वृद्धि होगी क्योंकि शासन की स्वीकृति के अभाव (नवम्बर 2014) में सिंचाई विभाग एवं बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के मध्य ड्राफ्ट अनुबन्ध निष्पादित किया जाना अभी भी शेष था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि जल की आपूर्ति, नीति के अनुसार की जा रही थी तथा अनुबन्ध के निष्पादन की प्रक्रिया वर्ष 2002 से प्रगति में थी। परन्तु, आपूर्तित जल की मात्रा पर विवाद के कारण इसका अंतिमीकरण नहीं किया जा सका। उत्तर से पुष्टि होती है कि बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को जल आपूर्ति प्रारम्भ करने से पहले (मार्च 1989) सिंचाई विभाग द्वारा शासन की नीति (अप्रैल 1985) के अनुरूप बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के साथ कोई अनुबन्ध नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि जलापूर्ति आरंभ करने के 24 वर्षो से भी अधिक अंतराल के पश्चात् अनुबन्ध शासन की स्वीकृति के लिए मात्र दिसम्बर 2013 में भेजा गया जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तित जल की मात्रा पर विवाद हुआ तथा समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर पर जल मूल्य एवं रायल्टी की वसूली नही की जा सकी।

इस प्रकार, शासन की नीति का अनुपालन नही किये जाने तथा सिंचाई विभाग द्वारा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को जलापूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि से 25 वर्षो की समाप्ति के उपरान्त भी अनुबन्ध का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण शासन को अप्राप्त रायल्टी, जलमूल्य एवं उस पर अर्जित व्याज के रूप में सितम्बर 2014 तक ₹ 42.28[22] करोड़ की हानि हुई।

शासन द्वारा वार्ता के दौरान (नवम्बर 2014) तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि सहमति–ज्ञापन/अनुबन्ध के निष्पादन की कार्यवाही प्रगति में थी।

3.2.6 ₹ 1.59 करोड़ का अलाभकारी व्यय

पर्याप्त धनावंटन सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारंभ कराये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.59 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 174 (8) के अनुसार बिना पर्याप्त धनावंटन के व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–6 के प्रस्तर 375 (ए) के अनुसार यह मूल नियम है कि कोई कार्य तब तक प्रारंभ नही कराया जाना चाहिए जब तक कि विस्तृत परिकल्प एवं प्राक्कलन की स्वीकृति, निधियों का आवंटन और कार्य प्रारंभ कराये जाने के आदेश सक्षम प्रधिकारी द्वारा निर्गत न कर दिये जायें।

[22] ₹ 27.45 करोड़ के व्याज सहित।

अधिशासी अभियन्ता, बाण सागर नहर निर्माण खण्ड–9, मीरजापुर के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2013) में पाया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भागवत राजवाहा के किमी 0.000 से 6.600 पर कांक्रीट लाइनिंग कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति (जून 2009) ₹ 4.98 करोड़ की लागत से प्रदान की गयी एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र ₹ 50 लाख की ही प्रदान की गयी। मुख्य अभियन्ता (बाण सागर), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा भागवत राजवाहा के कांक्रीट लाइनिंग परियोजना के कार्य की मदों हेतु तकनीकी स्वीकृति (फरवरी 2010) प्रदान की गयी।

यह पाया गया (जुलाई 2013) कि खण्ड द्वारा परियोजना हेतु प्राइमर, लो डेन्सिटी पोलीथीलीन फिल्म, सीलिंग कम्पाउन्ड आदि का क्रय किया गया एवं ₹ 50 लाख की धनराशि वर्ष 2009–10 में व्यय की गयी। इसके अतिरिक्त, अधीक्षण अभियन्ता बाण सागर नहर निर्माण वृत्त–3 मीरजापुर द्वारा कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिये कांक्रीट लाइनिंग के कार्य को छः भागों में बाँट कर एवं परियोजना हेतु प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक ₹ 5.69 करोड़ लागत के छः अनुबंध[23] अगस्त–सितंबर 2009 में निष्पादित किये गये। परन्तु, कार्य के आरम्भ एवं समापन के निर्धारित माहों क्रमशः अगस्त–सितंबर 2009 और फरवरी–मार्च 2011 से तीन वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। प्रत्येक कार्य[24] हेतु निर्धारित 14 मदों, जो इन अनुबन्धों के माध्यम से कराये जाने थे, में से मात्र एक मद[25] का कार्य अगस्त 2009 एवं सितंबर 2010 के दौरान ₹ 1.14 करोड़ की लागत से ठेकेदारों द्वारा कराया गया था। परियोजना के अन्तर्गत धनाबंटन के अभाव एवं रनिंग बिलों के भुगतान न हो पाने की स्थिति में ठेकेदारों ने कार्य रोक दिया एवं अनुबंधों को रद्द करने की मांग की। तत्पश्चात, अधीक्षण अभियंता ने सभी छः अनुबंध निरस्त (मार्च एवं मई 2012)[26] कर दिये। शासन द्वारा ₹ 6.38 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति (मई 2012) प्रदान की गयी एवं परियोजना हेतु ₹ 80 लाख अवमुक्त (अगस्त 2012) किया गया था। खण्ड द्वारा ठेकेदारों के रनिंग बिलों के विरूद्ध ₹ 80 लाख का भुगतान (नवम्बर 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य) किया गया फिर भी ₹ 29.07 लाख की देनदारियाँ लंबित (अक्टूबर 2014) थी। नहर की लाइनिंग का कार्य अपूर्ण (सितंबर 2014) था एवं वर्ष 2009–10 में ₹ 41.18 लाख की लागत से परियोजना हेतु क्रय की गयी सामग्रियाँ स्टोर में पाँच वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त पड़ी थी। अग्रेतर, खण्ड द्वारा प्रेषित ₹ 7.87 करोड़ को एक पुनः पुनरीक्षित प्रस्ताव (अप्रैल 2013) प्रमुख अभियन्ता स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित था (जून 2014)। इस प्रकार, वित्तीय नियमों एवं बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत बिना पर्याप्त धनावंटन सुनिश्चित किये कार्य प्रारंभ कराये जाने के कारण परियोजना पर किया गया ₹ 1.59 करोड़[27] का व्यय अलाभकारी रहा (₹ 29.07 लाख की देनदारियों सहित) जो अनुबन्ध की कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि (मार्च 2011) के तीन वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अपूर्ण था। आगे यह भी पाया गया कि नये अनुबंधों के कार्य, जिनको दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था, सितम्बर 2014 तक प्रारम्भ नहीं हो सके थे। इसके अतिरिक्त, करीब पाँच वर्ष पूर्व क्रय की गयी ₹ 41.18 लाख की सामग्रियों के उपयोग किये जाने की संभावना बहुत दूर प्रतीत होती है।

[23] अनुबंध संख्या 05, 06, 07, 08, 09 एवं 10/एसई/2009–10।

[24] भागवत राजवाहा के लाइनिंग का कार्य (i) किमी 0.000 से 1.000 तक (अनुबंध संख्या 10/एसई/2009–10) (ii) किमी 1.000 से 2.100 तक (अनुबंध संख्या 05/एसई/2009–10), (iii) किमी 2.100 से 3.200 तक (अनुबंध संख्या 06/एसई/2009–10), (iv) किमी 3.200 से 4.300 तक (अनुबंध संख्या 07/एसई/2009–10), (v) किमी 4.300 से 5.500 तक (अनुबंध संख्या 09/एसई/2009–10), एवं (vi) किमी 5.500 से 6.600 तक (अनुबंध संख्या 08/एसई/2009–10)।

[25] नहर में समस्त लीड, लिफ्ट, मैनुअल कम्पैक्शन एवं ड्रेसिंग सहित ढुलाई की गयी मिटट्ी से भराव कार्य।

[26] अनुबंध संख्या 07, 08, 09 एवं 10, मार्च 2012 में एवं अनुबंध संख्या 05 तथा 06, मई 2012 में।

[27] ₹ 50 लाख + ₹ 80 लाख + ₹ 29.07 लाख = ₹ 1.59 करोड़।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जुलाई 2013) अधिशासी अभियन्ता द्वारा उत्तर में बताया गया (जुलाई 2013) कि धनाबंटन के अभाव में ठेकेदारों ने कार्य बंद कर दिया था और इसे पूर्ण नहीं किया जा सका था। उत्तर से लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गयी इस आपत्ति की पुष्टि होती है कि परियोजना का कार्य वित्तीय नियमों के विपरीत बिना धनाबंटन सुनिश्चित किये प्रारंभ कराया गया था।

वार्ता के दौरान (नवम्बर 2014) शासन ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

3.2.7 शासन को हानि

भू–प्रतिकर के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में शासन को ₹ 1.21 करोड़ की हानि।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–पाँच भाग–1 के प्रस्तर 161 के अनुसार अपरिहार्य भुगतान को अभुगतानित नही रखा जाना चाहिए। अपरिहार्य भुगतान को स्थगित किया जाना आर्थिक दृष्टिकोण से उचित नही है तथा यथाशीघ्र सभी वास्तविक भुगतान बाध्यताओं को अभिनिश्चित, परिसमापित तथा अभिलिखित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2012) एवं अग्रेतर संकलित सूचना (अगस्त 2013) में पाया गया कि खण्ड द्वारा "गोमती नगर सुरक्षा बांध" के निर्माण हेतु 9.998 हेक्टेयर एवं 4.488 हेक्टेयर भूमि क्रमशः ग्राम जुगौली एवं जियामऊ में अधिग्रहीत की गई (नवम्बर 1985)। इन ग्रामों की अधिग्रहीत भूमि हेतु भू–प्रतिकर दिया जाना निश्चित किया गया एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, शारदा सहायक परियोजना, लखनऊ द्वारा अधिनिर्णय घोषित (अगस्त 1990) किया गया। अधिनिर्णय में 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम सहित इन ग्रामों की भू–प्रतिकर की धनराशि क्रमशः ₹ 29.57 लाख एवं ₹ 13.27 लाख सम्मिलित थी। भू–प्रतिकर के भुगतान मे विलम्ब पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय था। परियोजना वर्ष 1985 में शुरू एवं वर्ष 2005 में पूर्ण की गयी। यह देखा गया कि स्वीकृत परियोजना में परियोजना हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹ 47.50 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया था। यद्यपि, परियोजना में भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि का प्रावधान होने एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अगस्त 1990 में अधिनिर्णय घोषित किये जाने पर भी, धनराशि की अनुपलब्धता के कारण इन ग्रामों की अधिग्रहीत भूमि हेतु, यथा समय भू–प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया। जबकि, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा शासन से भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि की मांग किये जाते समय भू–प्रतिकर के भुगतान में विलम्ब के फलस्वरूप बढ़ते हुए ब्याज के भार के बारे में बार–बार अनुस्मारित[28] कराया गया था। परन्तु शासन ने अगस्त 2011 में ₹ 1.88 करोड़ स्वीकृत किया। परिणामस्वरूप प्रतिकर अधिनिर्णय की घोषणा किये जाने के 21 वर्ष पश्चात दिनांक 30 अगस्त 2011 को खण्ड द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को ₹ 1.49 करोड़, ब्याज सहित ₹ 1.88 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें से ₹ 1.21 करोड़ का भुगतान अधिनिर्णय की घोषणा की तिथि से जून 2011 तक का किया गया, जिसे बचाया जा सकता था। इस प्रकार, वित्तीय नियमों के विपरीत भू–प्रतिकर के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब के कारण शासन को ₹ 1.21 करोड़ की क्षति हुई।

[28] पत्र–संख्या 866 दिनांकः 04.08.2006, तथा संख्या 63 दिनॉक 29.12.2006।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया (अगस्त 2012) कि भू–प्रतिकर की धनराशि के भुगतान हेतु कई बार मांग की गई किन्तु धनाबंटन में विलम्ब के कारण ब्याज का भुगतान किया गया था। उत्तर मान्य नही है क्योंकि परियोजना में भू–प्रतिकर हेतु धनराशि का प्रावधान पूर्व में ही किया गया था एवं विभाग का यह उत्तरदायित्व था कि परियोजना हेतु आवंटित धनराशि से अधिनिर्णय की घोषणा पर तद्नुसार भू–प्रतिकर का भुगतान किया जाना चाहिए था।

शासन द्वारा वार्ता में (नवम्बर 2014) तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण लम्बित होने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ। परन्तु लंबित प्रकरणों की प्रकृति एवं उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। शासन से उक्त सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध (नवम्बर 2014) किया गया था जो कि अभी तक प्रतीक्षित है।

3.2.8 निष्फल व्यय

मानक के अनुसार खण्ड का पुर्नगठन किये जाने में विभाग एवं शासन की विफलता के कारण ₹ 8.40 करोड़ का निष्फल व्यय।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत निर्माण खण्डों के कार्यभार से सम्बन्धित मानक को शासन द्वारा पुनरीक्षित किया गया (जनवरी 1996)[29] जिसमें एक निर्माण खण्ड का कार्यभार ₹ दो करोड़ प्रति खण्ड प्रतिवर्ष निर्धारित था। उक्त शासनादेश में यह भी उल्लिखित था कि मूल्य सूचकांक को ध्यान मे रखते हुए मानक प्रत्येक दो वर्ष में पुनरीक्षित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता, जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–प्रथम, फतेहपुर के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2014) एवं आगे अधिशासी अभियन्ता, जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–प्रथम तथा अधिशासी अभियन्ता जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–द्वितीय, फतेहपुर से एकत्रित सूचना (मई 2014) में पाया गया कि शासन ने जरौली पम्प नहर परियोजना के निर्माण हेतु इन खण्डों का गठन (अगस्त 1998) किया। परियोजना जून 2007 में पूर्ण हो गयी थी, तथा परियोजना पूर्ण होने सम्बन्धी प्रतिवेदन शासन को जून 2007 में प्रेषित किया गया था। उसके पश्चात इन खण्डों को कोई निर्माण कार्य आवंटित नहीं किया गया तथा दोनों खण्ड मात्र 4.7 किमी लम्बी पोषक नहर के अनुरक्षण का कार्य कर रहे थे। यह देखा गया कि मुख्य अभियंता (बाणसागर), इलाहाबाद द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं शासन को नियमित रूप से यह लिखा[30] जा रहा था कि जरौली पम्प नहर परियोजना के पूर्ण होने के दृष्टिगत इन दो खण्डों का अस्तित्व मात्र 4.7 किमी लम्बी पोषक नहर के अनुरक्षण के लिए रखना न्यायोचित नहीं होगा। तद्नुसार, मुख्य अभियन्ता ने शासकीय/सार्वजनिक हित में इन खण्डों का पुर्नगठन करने तथा पोषक नहर के अनुरक्षण का कार्य फतेहपुर में स्थापित रामगंगा संगठन के दो अन्य खण्डों[31] को सौपने का अनुरोध किया (जनवरी 2007)। परन्तु इस सम्बन्ध में विभाग एवं शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, इन खण्डों द्वारा वर्ष 2008–14 के दौरान मात्र ₹ 1.70 करोड़[32] का अनुरक्षण कार्य सम्पादित किया गया

[29] ए–1–(1)/95–27–सिं–8–15ए/94 दिनांक 02.01.1996।
[30] सितम्बर 2010 एवं मई 2012।
[31] फतेहपुर खण्ड निचली गंगा नहर, फतेहपुर एवं सिंचाई खण्ड, फतेहपुर।
[32] ₹ 0.82 करोड़ (जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–प्रथम)+₹ 0.88 करोड़ (जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–द्वितीय) = ₹ 1.70 करोड़।

(₹ दो करोड़ के विद्यमान मापदण्ड के सापेक्ष औसत ₹ 14.12 लाख[33] प्रति खण्ड प्रति वर्ष), जबकि इन खण्डों का स्थापना[34] व्यय इस अवधि के दौरान ₹ 8.40 करोड़ (₹ 3.83 करोड़ जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–प्रथम + ₹ 4.57 करोड़: जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–द्वितीय) था। इस प्रकार, परियोजना के पूर्ण होने के सात साल बाद भी समय पर निर्णय लेने में विभाग के साथ–साथ शासन की विफलता के कारण इन खण्डों पर ₹ 8.40 करोड़ की धनराशि का निष्फल व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करते समय अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया (मई 2014) कि खण्डों का पुर्नगठन किये जाने का निर्णय जनवरी 2007 से उच्च स्तर पर लम्बित था।

शासन द्वारा वार्ता (नवम्बर 2014) में तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि दोनों खण्डों के विघटित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। तथ्य यथावत रहा कि शासन स्तर पर इन खण्डों को विघटित किये जाने का निर्णय लेने में सात साल से अधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 8.40 करोड़ की धनराशि का व्यय निष्फल रहा।

3.2.9 अतिरिक्त व्यय

निर्धारित चार प्रतिशत के स्थान पर पाँच एवं 12.5 प्रतिशत की दर से वैट जोड़ने तथा बोल्डर/स्पिलिट अथवा कट स्टोन की ढुलाई पर गैर अनुमन्य वैट जोड़ने के कारण कार्यो की लागत में वृद्धि एवं ₹ 2.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के अध्याय–15 के प्रस्तर 174 (15) (तृतीय) में प्रावधानित है कि विधिक, अनुबंध या नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य धनराशि से अधिक का भुगतान किया जाना वित्तीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–छः के प्रस्तर 523 में यह प्रावधान है कि आगणन तैयार करने, करार अनुबन्धों में दरों के निर्धारण में मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक वृत्त में सामान्य रूप से कराये जाने वाले सभी कार्यो के लिए एक दर अनुसूची तैयार एवं अद्यतन रखी जानी चाहिए। सहारनपुर वृत्त में उपलब्ध दरों की अनुसूची में खदान से कार्यस्थल तक सामग्री के ढुलाई में वैट को सम्मिलित करने का प्रावधान नही किया गया था क्योंकि खदान पर सामग्री की लागत में वैट पहले से ही सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, वैट एक्ट–2007 के अनुसार बोल्डर/स्पलिट अथवा कट स्टोन के लिये चार प्रतिशत की दर से वैट का निर्धारण किया गया था।

अधिशासी अभियंता, ड्रेनेज खण्ड–प्रथम, मेरठ एवं सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर एवं नवम्बर 2013) में बाढ़ नियंत्रण कार्यो के स्वीकृत आगणनों[35] में निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गयीः

(अ) इन खण्डों द्वारा बोल्डर/स्पिलिट अथवा कट स्टोन की आपूर्ति हेतु दर विश्लेषण में चार प्रतिशत की निर्धारित दर के स्थान पर पाँच प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत की दर से वैट जोड़ा गया था। ***(परिशिष्ट–3.3अ)***

[33] ₹ 81.86 लाख/6 = ₹ 13.64 लाख (जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–प्रथम) एवं ₹ 87.59 लाख/6 जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–द्वितीय = ₹ 14.60 लाख, औसत = ₹ 13.64 + ₹ 14.60/2 = ₹ 14.12 लाख।

[34] वेतन एवं भत्ते, यात्रा भत्ते इत्यादि।

[35] सिंचाई निर्माण खण्डः 34/सीई/11–12, 38/एसई/11–12, 32/सीई/11–12, 44/सीई/11–12 और 23/सीई/12–13; ड्रेनेज खण्ड–Iः 40/सीई/10–11 एवं 19/सीई/10–11।

(ब) इसी प्रकार इन खण्डों द्वारा बोल्डरों की आपूर्ति की दरों के विश्लेषण में निर्धारित मानक/आदेशों के विपरीत बोल्डर/स्पिलिट अथवा कट स्टोने की ढुलाई में वैट जोड़ा गया था ***(परिशिष्ट–3.3 ब)***।

इस प्रकार, कार्य की इस मद में दरों की वृद्धि के फलस्वरूप कार्यो की कुल लागत में ₹ 2.87 करोड़[36] की वृद्धि हो गयी। इन बढ़ी हुई दरों के आधार पर निविदायें आमंत्रित की गयीं और अनुबंधों का गठन किया गया। बोल्डर/स्पिलिट अथवा कट स्टोन की आपूर्ति में बढ़ी हुई दरों पर स्वीकृति के कारण शासन को ₹ 2.87 करोड़ अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सिंचाई निर्माण खण्ड ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2013) कि अब ढुलाई में कोई भी वैट भारित नहीं किया जा रहा है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा अपनी त्रुटि की पहचान की गयी और ठीक कर लिया गया। ड्रेनेज खण्ड–प्रथम ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि वैट एक्ट, 2007 के आधार पर ही 12.5 प्रतिशत की दर से वैट जोड़ा गया। उत्तर मान्य नही था क्योंकि वैट एक्ट, 2007 के अनुसार बोल्डर/स्पिलिट अथवा कट स्टोन पर चार प्रतिशत की दर से ही वैट अनुमन्य था, जो कि इस तथ्य से भी स्पष्ट था कि खण्ड द्वारा एक अन्य कार्य[37] में इस मद हेतु चार प्रतिशत की दर से ही वैट जोड़ा गया था।

इस प्रकार, इन खण्डों द्वारा उच्च दरों से वैट जोड़ने और ढुलाई की लागत में वैट जोड़ने के फलस्वरूप कार्य की लागत में ₹ 2.87 करोड़ का अतिरिक्त/अधिक व्यय करना पड़ा।

शासन ने वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान आंकड़ो एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि आगणन के तैयार करने में त्रुटि को चिन्हित किया जायेगा और इसमें एकरूपता स्थापित करने हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। तथ्य यथावत है कि उच्च दरों एवं गैर अनुमन्य वैट को आगणनों में शामिल करने के कारण आगणित दरों में वृद्धि हुई थी।

3.3 औचित्य लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय किए जाने के प्रकरण

लोक निधि से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य एवं व्ययों की प्रभावकारिता के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते है। प्राधिकारी जिन्हें व्यय के लिए प्राधिकृत किया जाता है, उससे यह अपेक्षित है कि वह धन का व्यय उतनी ही सतर्कता के साथ करें जितना कि सामान्य व्यक्ति अपने धन के व्यय में करता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यपूर्ण और अतिरिक्त व्यय के निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये:

[36] ₹ 1.23 करोड़ + ₹ 1.64 करोड़ (परिशिष्ट 1 एवं 2 के अनुसार)।

[37] टी 5/2009–10 दिनॉक: 22.03.2010 तथा अनुबंध सं0 57,59,62,64,105,124,130,132,133,135,136,144,143,146, 148, 149 एवं 193/अधिशासी अभियन्ता/2010–11, 27–45/सहयक अभियन्ता/2011–12।

कृषि विभाग

3.3.1 उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को अनुचित सहायता

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को वर्ष 2011–14 की अवधि में बीजों के क्रय पर गैर अनुमन्य कमीशन दिए जाने से ₹ 11.99 करोड़ की अनुचित सहायता।

प्रदेश में कृषि फसलों हेतु कृषकों को बिक्री के लिये बीजों के खुदरा मूल्य का निर्धारण[38] उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा किया जाता है।

कार्यालय कृषि निदेशालय, लखनऊ के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया (मार्च 2014) कि शासन के मई 2003 के आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, कृषि निदेशालय, लखनऊ को फसलों हेतु बीज आपूर्त्ति की नोडल एजेंसी है। बीजों की बिक्री कृषि निदेशालय, लखनऊ द्वारा ब्लॉक स्तर पर स्थित भण्डार गृहों के माध्यम से कृषकों को की जाती है। तद्नुसार, वर्ष 2011–14 की अवधि में, कृषि निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को विभिन्न फसलों के 14,48,765 कुन्तल[39] बीजों की आपूर्त्ति हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये थे। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा उनकी आपूर्त्ति की गई एवं एक्स–प्लांट मूल्य पर 4.25 प्रतिशत की दर से ₹ 11.99 करोड़ वितरक कमीशन के साथ कुल ₹ 626.33 करोड़ के बीजक प्रस्तुत किये गये। कृषि निदेशालय ने इस तथ्य की उपेक्षा करते हुये कि कृषि निदेशालय द्वारा स्वयं कृषकों को बीज वितरित किये गये थे, 2011 से 2014 की अवधि में उक्त बीजकों का भुगतान कर दिया जिसमें ₹ 11.99 करोड़ वितरक कमीशन सम्मिलित था। विविध बीजों का क्रय (2011–14) एवं उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को भुगतान किये गये वितरक कमीशन का वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है।

इस प्रकार, वर्ष 2011–14 की अवधि में गैर अनुमन्य वितरक कमीशन दिए जाने से उत्तर प्रदेश बीज निगम को ₹ 11.99 करोड़ की अनुचित सहायता दी गई।

उत्तर में शासन द्वारा वितरक कमीशन के भुगतान को इस आधार पर न्यायसंगत ठहराया गया (नवम्बर 2014) कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा बीज विधायन, बीजों की टैगिंग/पैकिंग, भण्डार क्षति निदान के उपायों तथा बीजों के क्रय हेतु व्यावसायिक बैंकों से लिये गये ऋणों पर ब्याज के भुगतान इत्यादि पर व्यय वहन करना पड़ता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बीजों के एक्स–प्लांट मूल्य में उपरोक्त व्यय पहले ही शामिल थे। वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान भी शासन द्वारा पुनः उपरोक्त उत्तर को दोहराया गया।

[38] निगम द्वारा विविध मद जैसे बीज उत्पादकों की कीमत भुगतान, बीज विधायन प्रभार आदि (एक्स–प्लांट लागत) तथा प्रशासनिक व्ययों को शामिल करते हुये बीजों की लागत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जब लागत मूल्य में जोखिम की संभावना, वितरक का कमीशन एवं परिवहन व्यय जोड़ दिये जाने पर एक्स–स्टोरेज डिपो लागत निर्धारित होती है।

[39] 2011–12: 6,84,864 कुन्तल, 2012–13: 7,37,076.50 कुन्तल एवं 2013–14: 26,824 कुन्तल।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

3.3.2 ₹ 23.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय, भारत सरकार के समान 15 प्रतिशत छूट का मानक न अपनाए जाने के कारण, विभागीय विज्ञापनों के प्रकाशन में ₹ 23.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–पाँच (भाग–1)[40] में प्रावधानित है कि शासकीय धन के व्यय में एक लोक सेवक द्वारा वही सजगता बरती जानी चाहिए जैसे कि एक सामान्य विवेक सम्मत व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय में बरतता है।

अन्य निकाय/प्राधिकरण/अभिकरण के मानको को अपनाए जाते समय शासन के हित मे लाभकारी प्रावधान को अपनाया जाना चाहिए।

शासन द्वारा विभागीय विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु दिशा–निर्देश[41] निर्गत किये गये (दिसम्बर 2003)। दिशा–निर्देशो के अनुसार, शासकीय विभागो के विज्ञापन, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (निदेशालय) के माध्यम से विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर, समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराया जाना था। साथ ही, यह भी प्रावधानित किया गया था कि ऐसे समाचार–पत्र जिनके प्रकाशन की दरें विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, उनको राज्य सरकार के सूचना विभाग के साथ सूचीबद्ध माना जायेगा किन्तु भारत सरकार के मंत्राालय/विभागो, अन्य ग्राहक संगठनो के विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनो के सापेक्ष उनको प्रदान की जा रही 15 प्रतिशत छूट का मानक राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

निदेशालय के अभिलेखो की जाँच (मई 2013) में एवं अग्रेतर संकलित सूचना (मई 2014) में पाया गया कि विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर उत्तर प्रदेश राज्य के शासकीय विभागो के विज्ञापनो के सीधे समाचार–पत्रो में अथवा प्राइवेट एजेन्सियों के माध्यम से प्रकाशन का उत्तरदायित्व निदेशालय का है। विज्ञापनो के प्रकाशन के पूर्व, प्रकाशन की तिथि, समाचार–पत्र का नाम, भाषा, स्थान तथा वर्ग सेन्टीमीटर मे निर्धारित स्थान आदि के साथ शासकीय विभागो के वर्गीकृत विज्ञापनो के प्रकाशन हेतु पैनल मे सूचीबद्ध समाचार–पत्रों एवं प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सियों के पक्ष में सीधे स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाता है। विज्ञापन के प्रकाशन के उपरान्त सम्बन्धित प्रकाशक/एजेन्सी द्वारा देयक तैयार कर निदेशालय को प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराए जाने पर शासकीय विभागों के विज्ञापनों के प्रकाशन पर विभागो को 15 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है जिसका लाभ लिए बिना ही निदेशालय द्वारा विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की पूरी दर पर प्रकाशक/एजेन्सी को भुगतान किया गया था।

अग्रेतर, जाँच मे पाया गाया कि निदेशालय द्वारा वर्ष 2008–14 की अवधि में विभागीय वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन पर समाचार–पत्र प्रकाशको और प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सियों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की पूर्ण दरों पर

[40] प्रस्तर 169।

[41] शासनादेश संख्या 2130/19–1–2003–89/2001 दिनांक 18 दिसम्बर 2003।

₹ 157.60 करोड़[42] का भुगतान किया गया। निदेशालय द्वारा विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय, भारत सरकार के समान 15 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए समाचार–पत्र प्रकाशको एवं प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सियों से समझौता करने के स्थान पर समाचार–पत्र प्रकाशको एवं प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सियों के दावों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की पूर्ण दरों पर भुगतान किये जाने के फलस्वरूप ₹ 23.64 करोड़[43] का अतिरिक्त व्यय किया गया ।

इस प्रकार, विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय के 15 प्रतिशत छूट के मानक की उपेक्षा करने एवं निदेशालय द्वारा विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की पूर्ण दरों पर भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 23.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन द्वारा उत्तर मे (सितम्बर 2014) बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दिशा–निर्देशों के अनुसार शासकीय विभागों के विज्ञापन, सूचीबद्ध प्रकाशकों/एजेन्सियों के माध्यम से विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की पूर्ण दरों पर, बिना 15 प्रतिशत छूट प्राप्त किये, प्रकाशित कराये गये थे। यह भी बताया गया कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयो/विभागो के संदर्भ में विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय एक सेवा प्रदाता एजेन्सी है जबकि शासकीय विज्ञापनो के प्रकाशन हेतु राज्य सरकार द्वारा निदेशालय को वार्षिक बजट उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार, विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय एवं निदेशालय के मध्य तुलना करना उचित नही था।

उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि निदेशालय द्वारा विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय के समान ही प्रकाशकों/एजेन्सियों को सूचीबद्ध किया गया था एवं प्रकाशकों/एजेन्सियों को भुगतान के लिए भी विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की दरों को भी विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय के 15 प्रतिशत छूट के मानक का संज्ञान लिए बिना ही अंगीकार किया गया था। अग्रेतर, प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा अपने राजस्व के रूप में ग्राहको से वसूली गयी 15 प्रतिशत धनराशि के समान ही विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय द्वारा 15 प्रतिशत कमीशन की राशि प्रभारित करता है जो अंततः सम्बन्धित मंत्रालयो/विभागो को वापस कर दी जाती है। अतः राज्य सरकार/निदेशालय को भी कमीशन के स्थान पर 15 प्रतिशत छूट प्राप्त करना चाहिए था। इससे स्पष्ट था कि भारत सरकार की प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

वार्ता में (नवम्बर 2014), शासन द्वारा बताया गया कि विभाग को सेवा प्रदाता इकाई के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने/चिन्हीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

[42] ₹ 151.46ः करोड़ पब्लिशिंग हाउसेस एवं ₹ 6.14 करोड़ः प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सी।
[43] 157.60 (151.46+6.14) करोड़ का 15 प्रतिशत।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.3.3 परिहार्य व्यय

5000 किलोवाट पर माँग प्रभार के रूप में ₹ 2.10 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया अन्यथा उसी अवधि हेतु ₹ 53 लाख का व्यय होता।

राज्य बजट मैनुअल के अध्याय–नौ के अनुसार व्ययाधिकारी से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन के व्यय के संदर्भ में भी उतनी ही सतर्कता बरते जितना कि सामान्य विवेकसम्मत व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय के संदर्भ में बरतता है।

शासन ने ₹ 388.20 करोड़[44] की आकलित एवं पुनरीक्षित लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जालौन स्थित उरई के निर्माण की स्वीकृति दी (अगस्त 2006) एवं निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को दिसम्बर 2009 तक पूर्ण करने के लिए सौंपा (अगस्त 2006) गया ।

प्रधानाचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जालौन (उरई) के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2013) में पाया गया कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को वर्ष 2006–13 की अवधि में ₹ 331.83 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने सितम्बर 2006 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किये तथा दिसम्बर 2009 तक मात्र 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ था। शेष 30 प्रतिशत कार्य शासन द्वारा वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 में धनराशि अवमुक्त न करने के कारण अपूर्ण था।

अग्रेतर जाँच (मार्च 2013) में पाया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं परिसर के अन्य भवनों में विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, कानपुर द्वारा 7,142.32 किलोवाट के विद्युत संयोजन का प्राक्कलन तैयार किया गया एवं अनुमोदन हेतु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्रस्तुत किया गया (अक्टूबर 2008)। प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झाँसी ने फरवरी 2009 में 5,000 किलोवाट के विद्युत संयोजन को स्वीकृति दी एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वितरण खण्ड, जालौन को ₹ 1.49 करोड़ जमा किये (फरवरी 2009)। चूँकि निर्माण कार्य अपूर्ण था एवं चिकित्सा महाविद्यालय संचालित नहीं हुआ था, अतः उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने अधिशासी अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उरई को विद्युत भार घटाकर 1,000 किलोवाट करने हेतु आवेदन (मई 2009) इस आधार पर किया कि 1,000 किलोवाट विद्युत भार ही पर्याप्त था। हालांकि, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने आवेदन की उपेक्षा करते हुए चिकित्सा महाविद्यालय को विद्युत आपूर्ति करना आरम्भ किया (जनवरी 2010) एवं बिल 5,000 किलोवाट के लिए प्रेषित किया। प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा पुनः आवेदन किये जाने (सितम्बर 2010 से जून 2012) पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भार घटाकर 1,000 किलोवाट करने के लिए सहमत हुआ (अक्टूबर 2012) एवं प्रधानाचार्य को नये अनुबंध गठन करने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को बताया गया। हालांकि, प्रधानाचार्य द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं 5,000 किलोवाट हेतु ₹ 2.63 करोड़ (जनवरी 2010 से अप्रैल 2013) माँग प्रभार के रूप में भुगतानित किया गया जो अन्यथा 1,000 किलोवाट हेतु ₹ 53 लाख होता।

[44]सिविल कार्यः ₹ 299.56 करोड़, विद्युत कार्य : ₹ 88.64 करोड़।

इस प्रकार, चिकित्सा महाविद्यालय के भवन के अपूर्ण रहने एवं प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय की शिथिलता के कारण जनवरी 2010 से अप्रैल 2013 की अवधि हेतु स्वीकार्य पर माँग प्रभार के रूप में ₹ 53 लाख के स्थान पर ₹ 2.10 करोड़ का व्यय किया गया।

शासन ने वार्ता (नवम्बर 2014) में तथ्यों एवं आंकड़ों तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

3.3.4 निरर्थक व्यय

अनौचित्यपूर्ण प्रतिधारक दीवार के निर्माण के फलस्वरूप ₹ 17.17 करोड़ का निरर्थक व्यय।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल[45] के अनुसार व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिये। प्रत्येक सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके नियंत्रणाधीन लोक धनराशि में से व्यय करते समय वह वही सावधानी बरतेगा जो सामान्य विवेक सम्मत व्यक्ति निजी धन को खर्च करने में बरतता है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर/अक्टूबर 2013) में पाया गया कि शारदा सहायक फीडर चैनल के दाहिने किनारे पर मोहनलालगंल–गोसाईगंज मार्ग पर स्थित जिला कारागार, आदर्श कारागार एवं नारी बंदी निकेतन तथा उनके कैदियों की नहर कटान से सुरक्षा हेतु प्रमुख सचिव, गृह और पुलिस महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें ने सिंचाई विभाग से शारदा सहायक फीडर चैनल के क्षतिग्रस्त दायें किनारे को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया (अक्टूबर/दिसम्बर 2008)। परन्तु, सिंचाई विभाग द्वारा प्रमुख सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक के अनुरोध के विपरीत केवल दायें किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने के स्थान पर नहर के दोनों किनारों पर किमी 161.400 से किमी 164.200 तक ₹ 43.85 करोड़ की लागत से प्रतिधारक दीवार बनाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया (अक्टूबर 2009) गया। व्यय–वित्त समिति द्वारा ₹ 43.51 करोड़ की लागत से परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी (जुलाई 2010)। राज्य सरकार द्वारा भी उसी धनराशि पर परियोजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (नवम्बर 2010)। मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक, लखनऊ द्वारा इस कार्य हेतु ₹ 43.45 करोड़ लागत के आगणन की स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 2011)। प्रथम चरण में खण्ड द्वारा किमी 161.400 से 164.200 तक नहर के दाये किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने का कार्य वर्ष 2010–11 में प्रारम्भ किया गया और धनराशि ₹ 23.90 करोड़ व्यय के उपरान्त वर्ष 2011–12 में इसे पूर्ण किया गया।

तदोपरान्त, अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त सिंचाई कार्य, लखनऊ द्वारा नहर के बाये किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने हेतु कार्य आरम्भ एवं समापन की तिथि क्रमशः 18 मार्च 2013 एवं 17 अगस्त 2013 निर्धारित करते हुए दो अनुबन्ध[46] गठित किये गये। उक्त अनुबन्धों के सापेक्ष ₹ 17.17 करोड़[47] की धनराशि के व्ययोपरान्त दोनो अनुबन्ध/कार्य पूर्ण किये गये (मार्च 2014)। लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि प्रमुख

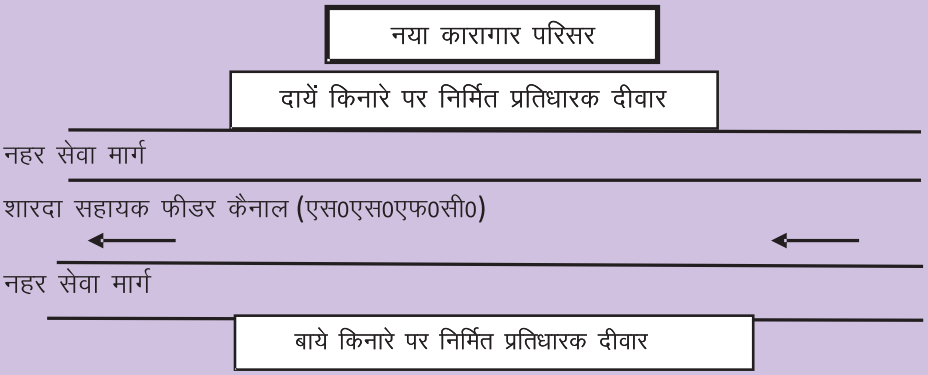
[45] प्रस्तर 12(iii)I।

[46] अनुबन्ध संख्या–81 तथा 82/एसई–XII/2012–13 दिनांक 18.03.2013 क्रमशः किमी 162.580 से किमी 163.390 तथा किमी 163.390 से किमी 164.200 तक।

[47] ₹ 9.81 करोड़ तथा ₹ 7.36 करोड़ क्रमशः अनुबन्ध संख्या 81 एवं 82/एसई–XII/2012–13 के सापेक्ष।

सचिव एवं महानिरीक्षक के अनुरोध के अनुसार नहर के बाये किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि नहर के दायें किनारे पर स्थित जिला कारागार, आदर्श कारागार और नारी बंदी निकेतन एवं उसके अन्दर रहने वाले कैदियों की शारदा सहायक फीडर चैनल में दरार से सुरक्षा के आधार पर ही परियोजना के प्रस्ताव को तैयार किया गया था। अतः नहर के बाये किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने का न तो उपयोगकर्ता विभाग द्वारा अनुरोध किया गया था और न ही इसकी आवश्यकता थी। इस प्रकार, शारदा सहायक फीडर चैनल के बाये किनारे पर प्रतिधारक दीवार (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है) बनाने का कार्य औचित्यपूर्ण नहीं था और इस पर किया गया ₹ 17.17 करोड़ की धनराशि का व्यय निरर्थक रहा।

प्रतिधारक दिवारों का चित्रात्मक प्रदर्शन



(माप के अनुसार नही)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2013) कि कार्य का प्रस्ताव शासन स्तरीय एवं सक्षम प्राधिकारियों की बैठक के दौरान लिये गये निर्णय के आधार पर बनाया गया था, जो नहर की सुरक्षा हेतु आवश्यक था। केवल दायें किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने से नहर का बायाँ किनारा असुरक्षित हो जाता। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि क्षतिग्रस्त शारदा सहायक फीडर चैनल के दाँये किनारे पर स्थित नव निर्मित लखनऊ जनपद के कारागार परिसर को नहर के दाँये किनारे के टूटने की स्थिति में सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कारागार विभाग के अनुरोध के क्रम में परियोजना का क्रियान्वयन किया गया था। इस प्रकार, बाँये किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने का प्रस्ताव एवं क्रियान्वयन वित्तीय औचित्य के सिद्वान्तों के विपरीत था जिसके फलस्वरूप ₹ 17.17 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, क्षतिग्रस्त नहर के सुदृढ़ीकरण का प्रकरण पुलिस महानिरीक्षक के अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में सुलझाया नही जा सका।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन ने तथ्यों और आंकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया कि बायें किनारे पर सुरक्षात्मक दीवार का निमार्ण तकनीकी कारणों से किया गया। शासन का उत्तर सही नहीं था क्योंकि प्रमुख सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कारागार की सुरक्षा कारणों से, क्षतिग्रस्त नहर के केवल दाहिने किनारे के बचाव हेतु अनुरोध किया गया था। यद्यपि, शासन द्वारा उल्लिखित तकनीकी कारणों की माँग की गयी है (नवम्बर 2014) जो दिसम्बर 2014 तक प्रतीक्षित थी।

लोक निर्माण विभाग

3.3.5 अनौचित्यपूर्ण व्यय

मार्ग के चौड़ीकरण में वेट मिक्स मैकेडम की अतिरिक्त मात्रा के बिछाने पर ₹ 1.64 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण व्यय।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–छः के प्रस्तर 318 के अनुसार कार्य की तकनीकी स्वीकृति यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सही हैं तथा आगणन की गणनाएँ सटीक एवं समुचित आंकड़ों पर आधारित हैं। अग्रेतर, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित (अक्टूबर 2007) है कि मार्ग के चौड़ीकरण वाले भाग में क्रस्ट की मोटाई, मार्ग के कैरेजवे की विद्यमान क्रस्ट मोटाई के समान होनी चाहिये।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2011) एवं संकलित सूचना (मार्च 2013 एवं फरवरी 2014) में उद्घटित हुआ कि व्यस्ततम समय में यातायात सघनता को कम करने हेतु कानपुर–हमीरपुर–सागर मार्ग के किमी 3.500 से 7.450 (लम्बाई 3.950 किमी) के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागत, ₹ 21.45 करोड़ की, प्रदान (मार्च 2010) की गयी थी। मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा समान लागत की तकनीकी स्वीकृति जून 2010, में प्रदान की गयी थी। कार्य निष्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, कानपुर द्वारा मेसर्स इन्डियन इन्फ्रा बिल्ट प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर के साथ ₹ 18.59 करोड़ की लागत का एक अनुबंध संख्या 14/एसई–के वी/2010–11 दिनांक जुलाई 2010 में गठित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कानपुर शहर के औद्योगिक महत्व एवं व्यस्ततम समय में यातायात सघनता को कम करने के आशय से 3.950 किमी लम्बे (किमी 3.500 से 7.450) कानपुर–हमीरपुर–सागर मार्ग की विद्यमान चौड़ाई 7 मीटर को 16 मीटर किया जाना था। जाँच में पाया गया कि विस्तृत आगणन के प्रतिवेदन एवं क्रस्ट डिजाइन (विस्तृत आगणन के साथ संलग्न) के अनुसार कैरेजवे की विद्यमान सतह 50 सेमी (45 सेमी वाटर बाउन्ड मैकेडम एवं 5 सेमी बिटुमिनस मैकेडम) मोटी थी जिसे चौड़ीकरण वाले भाग में 20 सेमी ग्रेनुलर सबबेस एवं 30 सेमी वेट मिक्स मैकेडम के साथ मार्ग के पूरी 16 मीटर चौड़ाई में 7.5 सेमी बिटुमिनस मैकेडम एवं 2.5 सेमी सेमी–डेन्स बिटुमिनस मैकेडम बिछाकर 60 सेमी तक बढ़ाया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मार्ग के चौड़ीकरण वाले भाग में (10,665 घनमीटर) एवं इण्टर–लाकिंग सीमेंट ब्लाक पटरी के नीचे वाले भाग में (3,258.75 घनमीटर) वेट मिक्स मैकेडम की आवश्यक मात्रा 13,923.75 घनमीटर के सापेक्ष आगणन में 24,588.75 घनमीटर का प्रावधान किया गया जिसमें मार्ग के चौड़ीकरण वाले भाग की दुगुनी वेट मिक्स मैकेडम मात्रा (21,330 घनमीटर) सम्मिलित थी। अग्रेतर, वेट मिक्स मैकेडम कार्य मद की आवश्यक 13,923.75[48] घनमीटर मात्रा के सापेक्ष 21,993.365 घनमीटर वेट मिक्स मैकेडम का कार्य सम्पादित कराया गया जिसमें चौड़ीकरण वाले भाग में त्रुटिपूर्ण रूप से बढायी गयी मात्रा भी सम्मिलित थी। वेट मिक्स मैकेडम की आवश्यक मात्रा 13,923.75 घनमीटर के सापेक्ष, 8,069.615[49] घनमीटर

[48] चौड़ीकरण वाले भाग में 10,665 घनमीटर + इण्टर–लाकिंग सीमेंट ब्लाक पटरी वाले भाग में 3,258.75 घनमीटर= 13,923.75 घनमीटर।

[49] सम्पादित एवं भुगतानित 21,993.365 घनमीटर मात्रा (–) आवश्यक 13,923.75 घनमीटर मात्रा = 8,069.615 घनमीटर।

अधिक कार्य मात्रा के लिए ठेकेदार को ₹ 1.64[50] करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया (मार्च 2014)।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2014) कि वेट मिक्स मैकेडम की मात्रा टाइपिंग त्रुटि के कारण स्वीकृत विस्तृत आगणन में दुगुनी हो गयी थी जबकि वास्तविक मात्रा 10,665 घनमीटर होनी चाहिए थी एवं तद्नुसार, चौड़ीकरण कार्य कराया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि माप पुस्तिका के अनुसार स्वीकृत विस्तृत आगणन एवं अनुबन्ध में त्रुटिपूर्ण रूप में बढ़ायी गयी वेट मिक्स मैकेडम कार्य मद की मात्रा के अनुसार ही माप 8,069.615 घनमीटर वेट मिक्स मैकेडम के अधिक कार्य का सम्पादन एवं भुगतान किया गया था। इस प्रकार ₹ 1.64 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण व्यय किया गया था।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन द्वारा स्वीकार किया गया कि स्वीकृत विस्तृत आगणन में वेट मिक्स मैकेडम की मात्रा त्रुटिपूर्ण रूप में दुगुनी हो गयी थी तथा इसके अधिक प्रावधान/सम्पादन के सम्बन्ध में जाँचोंपरान्त उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा।

3.3.6 व्ययाधिक्य

मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में टिपर की अधिक दर के प्रावधान के कारण ₹ 3.18 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र (सितम्बर 2008) के अनुसार, विभिन्न कार्यमदों की दर का विश्लेषण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्टैण्डर्ड डाटा बुक में प्रावधानित दरों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा मशीनरी हेतु, 2001–02 को आधार वर्ष मानते हुए प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत की मूल्य वृद्धि अनुमन्य है। स्टैण्डर्ड डाटा बुक (2003) के अनुसार वर्ष 2001–02 में टिपर[51] की दर ₹ 1.74 प्रति टन–प्रति किमी निर्धारित थी।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2013) में पाया गया कि शासन द्वारा हिन्दुवारी (जनपद सोनभद्र) से मड़िहान (जनपद मिर्जापुर) तक लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग (किमी 343.00 से 387.50) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु ₹ 87.37 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान (दिसम्बर 2008) की गयी थी। मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य के विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति (मई 2009) प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, मिर्जापुर वृत्त ने कार्य निष्पादन हेतु जनवरी 2009 में ₹ 41.50 करोड़ की लागत का अनुबंध[52] गठित किया।

आगणन की जाँच में पाया गया कि ग्रेनुलर सब–बेस, वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट के बिछाए जाने के लिए टिपर की दर, उस वर्ष हेतु स्टैण्डर्ड डाटा बुक (2003) में प्रावधानित दर ₹ 1.74[53] प्रति टन–प्रति किमी के स्थान पर ₹ 3.35[54] प्रति टन–प्रति किमी प्रावधानित की गयी। तद्नुसार, विभाग द्वारा

[50] 8,069.615 घनमीटर X ₹ 1,965 = ₹ 1,58,56,793.47 + ₹ 5,09,003.07 (3.21 प्रतिशत प्रीमियम) = ₹ 1,63,65,796.54 = ₹ 1.64 करोड़, बिल संख्या 24/एफ, बीजक संख्या 24, दिनांक 07.03.2014 द्वारा भुगतानित।

[51] एक मशीन जिसका उपयोग मिट्टी, ग्रेनुलर सब–बेस, वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट के मिश्रण की ढुलाई हेतु किया जाता है।

[52] अनुबंध संख्या 69/एसई–एमसी/2008–09 दिनांक 19.01.2009 मेसर्स छात्रशक्ति कान्स्ट्रक्शन कम्पनी के साथ लागत ₹ 41,49,97,878.00 (0.25 प्रतिशत कम दर पर) का आगणित लागत ₹ 41,60,32,973.00 (बिटुमिन की लागत को छोड़कर) के विरूद्ध।

[53] टिपर की दर ₹ 1.74 X 35 प्रतिशत वृद्धि (2001–02 को आधार वर्ष मानते हुये) = ₹ 2.35।

[54] टिपर की दर ₹ 3.35 X 29 प्रतिशत वृद्धि = ₹ 4.32।

ग्रेनुलर सब–बेस, वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट कार्यमद में टिपर की यूजेज दर क्रमशः ₹ 130.74, ₹ 143.82, ₹ 150.86 एवं ₹ 154.01 प्रति घनमीटर के स्थान पर ₹ 240.53, ₹ 264.59, ₹ 277.54 एवं ₹ 283.35 प्रति घनमीटर ली गयी। इस प्रकार, स्टैण्डर्ड डाटा बुक (2003) एवं विभागीय परिपत्र (सितम्बर 2008) में निहित प्रावधानों के विरूद्ध, टिपर की बढ़ी हुई यूजेज दरों को अपनाए जाने के फलस्वरूप इन कार्य मदों के सम्पादन पर सितम्बर 2014 तक ₹ 3.18 करोड़ का अधिक व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–3.5)***।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर (जनवरी 2013) में बताया कि टिपर की यूजेज दरें प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र (जनवरी 2006) के आधार पर अपनायी गयीं। उत्तर सही नहीं था क्योंकि प्रमुख अभियन्ता का संदर्भित परिपत्र (जनवरी 2006) विभागीय कार्यो में प्रयोग होने वाली मशीनरी के यूजेज दरों से संम्बन्धित था, न कि, ऐसे कार्य जिनकी कार्य मदों की दर विश्लेषण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्टैण्डर्ड डाटा बुक के आधार पर किया गया हो। इस प्रकार, ग्रेनुलर सब–बेस, वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट की दरें जिन्हे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्टैण्डर्ड डाटा बुक के आधार पर विश्लेषित किया गया था, में टिपर की दरें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्टैण्डर्ड डाटा बुक (2003) एवं प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र (सितम्बर 2008) के आधार पर विश्लेषित की जानी चाहिए थी।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया एवं जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

3.3.7 ₹ 5.54 करोड़ का परिहार्य व्यय

वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान अधिक लिए जाने से मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल की अधिक गणना के फलस्वरूप ₹ 5.54 करोड़ का परिहार्य व्यय।

इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टि[55] के अनुसार मार्ग पर एक्सिल लोड सर्वे कराये जाने के उपरान्त वेहिकल डैमेज फैक्टर का वास्तविक मान लिया जाना चाहिए परन्तु एक्सिल लोड की पर्याप्त सूचना उपलब्ध न होने एवं परियोजना के अन्तर्गत एक्सिल लोड सर्वे कराया जाना उचित न होने की दशा में विशिष्टि में प्रदत्त वेहिकल डैमेज फैक्टर का सांकेतिक[56] मान प्रयोग किया जाना चाहिए। अग्रेतर, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मार्ग निर्माण के आगणन बनाए जाने में इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों को अपनाये जाने हेतु दिसम्बर 2005 में निर्देशित तथा सितम्बर 2008 में दोहराया गया।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2013) में पाया गया कि जनपद सोनभद्र में मुर्धवा–म्योरपुर–बभनी–चपकी–बीजपुर मार्ग[57] के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु शासन द्वारा ₹ 22.38 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (मार्च 2008) की गयी। मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी क्षेत्र द्वारा समान लागत की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (मई 2009) की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, मिर्जापुर वृत्त, मिर्जापुर द्वारा

[55] आईआरसी 37–2001।
[56] प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या 0 से 150, 150–1500 एवं 1500 से अधिक के परिचालन पर क्रमशः 1.5, 3.5 व 4.5 वेहिकल डैमेज फैक्टर लिया जाना चाहिए।
[57] चैनेज 36.750 से 69.120 किमी।

मेसर्स छात्रशक्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी, बलिया के साथ चार अनुबंध[58] गठित (मार्च 2008 से जुलाई 2008) किए गये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मार्ग की प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या 126 एवं कैलीफोर्निया बियरिंग रेशियो मान सात प्रतिशत थी। खण्ड द्वारा मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल की गणना में वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान एक्सिल लोड सर्वे कराये बिना, इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रावधानों के विरूद्ध, जिसमें प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या 0 से 150 हेतु वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान 1.5 लिया जाना चाहिए, 3.5 लिया गया। उच्च वेहिकल डैमेज फैक्टर मान 3.5 के आधार पर मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल 1.97 संगणित किया गया। परिणामस्वरूप, 400 मिमी[59] मोटी क्रस्ट डिजाइन की गयी। यदि वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान 1.5 संज्ञान में लिया गया होता तो मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल 'एक' होता। तद्नुसार डिजाइन की गयी क्रस्ट की मोटाई 375 मिमी होती जिसमें चौड़ीकरण वाले भाग में 150 मिमी ग्रेनुलर सबबेस एवं 150 मिमी वाटर बाउन्ड मैकेडम तथा पूरी चौड़ाई[60] में 75 मिमी वाटर बाउन्ड मैकेडम तथा 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेट[61] की बिटुमिनस सतह होती।

इस प्रकार, इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुसार जिसमें एक्सिल लोड सर्वे के अभाव में वेहिकल डैमेज फैक्टर का सांकेतिक मान 1.5 लिया जाना प्रावधानित है, के विपरीत वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान 3.5 लिए जाने एवं फलस्वरूप उच्च मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल के आगणन से क्रस्ट मोटाई की डिजाइन किया जाना, इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के विपरीत था। इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण क्रस्ट संरचना के माध्यम से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पर अनावश्यक[62] एवं महँगी[63] बिटुमिनस सतह बिछाने पर ₹ 5.54 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–3.6)***।

उत्तर में एवं वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गयी तथा अवगत कराया गया कि मार्ग की प्रारम्भिक प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या 126 एवं मार्ग निर्माण के उपरान्त 145 आगणित था जो 150 प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या के निकट था तद्नुसार, अत्यधिक भारी वाणिज्यिक वाहनों के लोड के दृष्टिगत वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान 3.5 लिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वास्ताविक एक्सिल लोड सर्वे नहीं कराया गया था जैसा कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकार (जनवरी 2014) किया गया। अतः इण्डियन रोड कांग्रेस विशिष्टि के अनुसार क्रस्ट संरचना में वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान 1.5 लिया जाना चाहिए था।

[58] अनुबंध सख्या 42/एसई/दिनांक 29.03.2008, चैनेज 36.750 से 45.000 हेतु, 43/एसई/ दिनांक 23.06.2008, चैनेज 46.000 से 55.000 हेतु, 47/एसई/दिनांक 28.06.2008 चैनेज 56.000 से 65.000 हेतु, 49/एसई/दिनांक 01.07.2008 चैनेज 66.000 से 69.120 हेतु।

[59] ग्रेनुलर सबबेस – 150 मिमी, वाटर वाउन्ड मैकेडम – 150 मिमी, बिटुमिनस मैकेडम – 75 मिमी, तथा सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट – 25 मिमी।

[60] वर्तमान सतह को हटाकर।

[61] प्रीमिक्स कारपेट।

[62] आवश्यक 375 मिमी,के स्थान पर 400 मिमी, क्रस्ट लिया जाना।

[63] 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेट के स्थान पर 75 मिमी बिटुमिनस मैकेडम व 25 मिमी सेमी डेन्स बटुमिनस कंक्रीट को किया जाना।

3.3.8 शासकीय क्षति

स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट में प्राईस एड्जस्टमेन्ट क्लाज के प्रावधान को अनौचित्य पूर्ण रूप में अंगीकार किए जाने से शासन को ₹ 2.13 करोड़ की क्षति।

वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–पाँच (भाग–1) के प्रस्तर 169 के अनुसार शासकीय अधिकारी से शासकीय कार्यो सम्बन्धी संव्यवहारों में शासकीय धनराशियों के व्यय करते समय वही सजगता बरते जाने की अपेक्षा है जैसा कि एक सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति निजी धन के व्यय में बरतता है।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर की लेखापरीक्षा (जून 2013) में पाया गया कि शासन द्वारा केन्द्रीय मार्ग निधि के अंतर्गत इण्टर–स्टेट कनेक्टिविटी योजना के अधीन बिलासपुर–मिलक मार्ग के किमी 0.000 से 33.125 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु लागत ₹ 35.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान (नवम्बर 2010) की गयी। मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गये विस्तृत आगणन जिसमें सामग्री, श्रम इत्यादि की दरों में वृद्धि विषयक मूल्य समायोजन क्लाज का प्रावधान सम्मिलित नहीं था, पर समान लागत की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (नवम्बर 2010) की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रामपुर ने विस्तृत आगणन पर मुख्य अभियन्ता द्वारा तकनीकी स्वीकृति (नवम्बर 2010) प्रदान किए जाने के पूर्व ही निविदायें आमंत्रित की (जून 2010) तथा स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट पर आधारित एक अनुबंध[64] गठित (नवम्बर 2010) किया जिसमें प्राइस एड्जस्टमेंट क्लाज सम्मिलित था। कार्य मई 2012 में पूर्ण कर लिया गया एवं सम्पादित कार्य के सापेक्ष ठेकेदार को कुल ₹ 31.94[65] करोड़ का अंतिम भुगतान किया (मार्च 2013) गया। अग्रेतर, अनुबंध की शर्तो एवं नियमों के अनुसार सामग्री, श्रम इत्यादि की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹ 2.13 करोड़[66] की धनराशि का भुगतान (जनवरी 2013) मूल्य समायोजन हेतु किया गया।

अग्रेतर, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर–खीरी वृत्त द्वारा संकलित सूचना (मई 2014) से ज्ञात हुआ कि इण्टर–स्टेट कनेक्टिविटी योजना के अर्न्तगत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के दो[67] अन्य कार्य भी स्वीकृति किए गये थे। इन दोनों कार्यो का सम्पादन, अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर–खीरी वृत्त, सीतापुर द्वारा स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट की शर्तो पर गठित अनुबन्धो[68], जिसमें प्राइस एड्जस्टमेंट क्लाज का प्रावधान सम्मिलित नहीं था, के माध्यम से कराया जा रहा था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि स्थापित वित्तीय नियमों एवं शासकीय हितों के विपरीत अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त द्वारा प्राइस एड्जस्टमेंट क्लाज को अनौचित्यपूर्ण रूप में अंगीकार किए जाने से प्राइस एडजस्टमेंट के रूप में ठेकेदार को ₹ 2.13 करोड़[69] का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

[64] अनुबंध संख्या 12/एसई/2010–11 लागत ₹ 32,90,89,708.10 मेसर्स मथियान कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फरनगर जिसकी कार्य प्रारम्भ व समापन तिथियॉ क्रमशः 22.11.2010 एवं 21.05.2012 थी।

[65] 15/अंतिम बिल, बाउचर संख्या 76 दिनांक 18.03.2013 , धनराशि ₹ 31,93,94,237.00।

[66] बीजक संख्या 72 दिनांक 31.01.2013।

[67] जॉब संख्या आईएससी–यूपी–2011–009, सिसैया–इसानगर–हसनपुर–कटौली मार्ग (लम्बाई 19.000 किमी) लागत ₹ 2,892.62 लाख एवं जाब संख्या आईएससी–यूपी–2011–010, हरगॉव–दतेली–पिपरझिला मार्ग (लम्बाई 17.700 किमी) लागत ₹ 3401.14 लाख।

[68] अनुबन्ध संख्या 118/एसई दिनांक 24.12.2011 एवं अनुबन्ध संख्या 40/एसई दिनांक 30.04.2013।

[69] नवम्बर 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जून 2013) कि कार्य केन्द्र पुरोनिधानित इण्टर–सेट कनेक्टिविटी योजना के अर्न्तगत स्वीकृत होने के कारण स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट की शर्तो पर गठित अनुबंध के आधार पर प्राइस एडजस्टमेंट का भुगतान किया गया है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त द्वारा मौलिक वित्तीय सिद्धान्तों के विपरीत प्राइस एडजस्टमेंट क्लाज को सम्मिलित करते हुए अनुबंध का गठन किया गया था। अग्रेतर, उसी योजना में स्वीकृत दो अन्य कार्यो के सम्पादन हेतु, अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर–खीरी वृत्त द्वारा गठित किए गये अनुबंधों में स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के अर्न्तगत प्राइस एडजस्टमेंट क्लाज को अंगीकार नहीं किया गया था।

इस प्रकार, स्थापित वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने एवं प्राइस एडजस्टमेंट क्लाज के अनौचित्यपूर्ण रूप में अंगीकार किए जाने से ठेकेदार को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ था तथा शासन को ₹ 2.13 करोड़ की क्षति हुयी थी।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए लेखापरीक्षा में इंगित आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के कार्यो के सम्पादन हेतु गठित अनुबंधो में शर्तो की एकरूपता सुनिश्चित किए जाने हेतु शीघ्र निर्देश निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया।

3.3.9 निष्फल व्यय

इण्डियन रोड कांग्रेस विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने के फलस्वरूप ₹ 2.98 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टि[70] की धारा 404.1.2 के अनुसार बाउन्ड मैकेडम एवं विद्यमान बिटुमिनस सतह के मध्य एकत्रित होने वाले पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना मार्ग के विद्यमान काली सतह पर वाटर बाउन्ड मैकेडम बिछाए जाने का प्रावधान वांछनीय नहीं है। अग्रेतर, धारा 404.3.1 के अनुसार जहाँ तक सम्भव हो, मार्ग की विद्यमान बिटुमिनस सतह पर वाटर बाउन्ड मैकेडम बिछाए जाने से बचना चाहिए क्योंकि यह पेवमेंट के दोनों सतहों के इण्टरफेस पर आंतरिक जल–निकासी की समस्या उत्पन्न करेगा।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2012 एवं सितम्बर 2013) में पाया गया कि शासन द्वारा राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर–सहारनपुर मार्ग के चैनेज किमी 17 से 59 (कुल 42.800 किमी) तक के भाग की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु ₹ 34.15 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (दिसम्बर 2010) की गयी। मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य के विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2011) की गयी। कार्य के स्वीकृत विस्तृत आगणन में मार्ग के चैनेज किमी 28 से 59 के मध्य इण्डियन रोड कांग्रेस विशिष्टियों के विपरीत समुचित ड्रैनेज प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित किये बिना ही 75 मिमी वाटर बाउन्ड मैकेडम को मार्ग की विद्यमान बिटुमिनस सतह पर बिछाए[71] जाने का प्रावधान किया गया था। अधीक्षण अभियन्ता, सहारनपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य सम्पादन हेतु एक अनुबंध[72] गठित

[70] सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यो की विशिष्टियाँ (2001)।

[71] आगणन में 75 मिमी ग्रेनुलर सबबेस (जी–3), 50 मिमी बिटुमिनस मैकेडम, 100 मिमी डेन्स बिटुमिनस मैकेडम एवं 40 मिमी बिटुमिनस कंक्रीट का प्रावधान किया गया था।

[72] 12/एसई/2010–11 दिनांक 23.02.2011, मेसर्स गोडविन इंजीनियर्स एवं कान्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद के साथ लागत ₹ 24,10,12,549.94 , चैनेज किमी 28.000 से 59.000।

किया गया जिसके कार्य प्रारम्भ व समापन की तिथियाँ क्रमशः फरवरी 2011 व मई 2012 थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा सात[73] किमी के चैनेज में डेन्स बिटुमिनस मैकेडम स्तर तक कार्य कराया गया। अक्टूबर 2014 तक इस कार्य पर ₹ 2.98 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी ***(परिशिष्ट–3.7)***। कार्य सम्पादन की अवधि में, इस सात किमी में 75 मिमी वाटर बाउन्ड मैकेडम के ऊपर बिछायी गयी बिटुमिनस सतह एवं कुछ स्थानों पर वाटर बाउन्ड मैकेडम भी क्षतिग्रस्त हो गयी। अनुबंध की शर्तों के पालन में विफलता, सम्पादित कार्य के क्षतिग्रस्त होने, अनुबंध के अनुसार माइल–स्टोन[74] प्राप्त करने में विफल रहने तथा कार्य–सारिणी उपलब्ध न कराने के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुबंध निरस्त (अक्टूबर 2011) कर दिया गया। इस अवधि में प्रकरण उच्च स्तरीय तकनीकी समिति को संदर्भित किया गया जिसने अपनी बैठक (सितम्बर 2011) में यह अभिलिखित किया कि मुख्य अभियन्ता द्वारा इस सात किमी में विद्यमान बिटुमिनस सतह पर ग्रेनुलर लेयर का के प्रावधान ही मार्ग के क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण है। इस कारण, 9.4 किमी लम्बाई में विद्यमान बिटुमिनस सतह के उपर 75 मिमी ग्रेनुलर सबबेस के पुराने प्रावधान को उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया एवं पुरानी बिटुमिनस सतह को उखाड़कर उस पर वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स–ग्रेडड बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट बिछाए जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णित किया गया (सितम्बर 2011) कि इस सात किमी के क्षतिग्रस्त भाग में, पुरानी बिटुमिनस सतह को उखाड़ कर आवश्यक नान–बिटुमिनस मोटाई व वाटर बाउन्ड मैकेडम/बिटुमिनस मैकेडम/डेन्स–ग्रेडड बिटुमिनस मैकेडम बिछाये जाने का कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाए। परन्तु, अनुबंध के निरस्त (अक्टूबर 2011) होने के कारण क्षतिग्रस्त भाग का कार्य ठीक नहीं कराया गया।

इस प्रकार, इण्डियन रोड कांग्रेस विशिष्टियों के विपरीत, बिना समुचित ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित किये अथवा नान–बिटुमिनस क्रस्ट के बिछाए जाने के पूर्व विद्यमान बिटुमिनस क्रस्ट को हटाए बिना, सात किमी के चैनेज में कार्य सम्पादन पर ₹ 2.98 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया। इसे मुख्य अभियन्ता एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा भी स्वीकार (सितम्बर 2011) किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, अधिशासी अभियन्ता द्वारा उत्तर (सितम्बर 2013) में बताया गया कि विद्यमान बिटुमिनस सतह पर ग्रेनुलर सतह बिछाए जाने का प्रावधान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की द्वारा प्राप्त (जनवरी 2011) डिजाइन के आधार पर किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मार्ग निर्माण के सम्पादन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की द्वारा प्राप्त डिजाइन के सापेक्ष, इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियो के संगत, विभाग द्वारा समुचित ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अनुमोदित पद्धतियाँ नहीं अपनायी गयी। परिणामस्वरूप इण्डियन रोड कांग्रेस विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने से ₹ 2.98 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया जैसा कि उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा भी इंगित किया गया था।

[73] किमी 43,49,50,51,52,55 एवं 56 ।

[74] अनुबंध के अनुसार माईल–स्टोन के आधार पर 6 करोड़ की लागत के कार्य के विपरीत दिनांक 30.05.2011 तक 1.5 करोड़ का कार्य सम्पादित कराया जाना एवं कार्य सारिणी उपलब्ध कराये जाने मे विफल रहना।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए, लेखापरीक्षा आपत्ति के सापेक्ष दोषी अधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने का आश्वासन दिया गया।

3.4 निरीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारे जिसके लिये वह स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापनाओं के विकास एवं उच्चीकरण तथा लोक सेवा के क्षेत्र में कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करे। यद्यपि, लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें सरकार द्वारा समाज के लाभ के लिये लोक सम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु दी गयी धनराशि का उपभोग प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी तथा विभिन्न स्तरों पर ठोस निर्णयों के अभाव के कारण नही किया गया था/अवरुद्ध थी या फिर अलाभकारी/अनुत्पादक व्यय सिद्ध हुआ। कुछ प्रकरण नीचे दिये जा रहे हैः

उच्च शिक्षा विभाग

3.4.1 उद्देश्य की पूर्ति न होना

₹ 12.43 करोड़ (₹ 12.15 करोड़ भवन निर्माण पर व ₹ 27.90 लाख उपकरणों के क्रय पर) का व्यय किए जाने के बाद भी भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा दन्त पाठ्यक्रम को मान्यता न दिये जाने के कारण दन्त विज्ञान में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने का उद्देश्य पूर्ण न होना।

किसी विश्वविद्यालय द्वारा दन्त कालेज की स्थापना करने के पूर्व भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा दन्त विज्ञान पाठ्यक्रम की मान्यता आवश्यक होती है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (विश्वविद्यालय) की शैक्षिक परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के उपकुलपति की अध्यक्षता में मई 2004 में आयोजित बैठक में 100 विद्यार्थियों की क्षमता के एक दन्त महाविद्यालय की स्थापना के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में ₹ 13.10 करोड़ (पुनरीक्षित[75]) की लागत से चार मंजिला भवन निर्माण किया जाना था। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपा गया। कार्य नवम्बर 2005[76] तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के अभिलेखों की संप्रेक्षा (जुलाई 2012) एवं अग्रेतर एकत्रित सूचनाओं (मई 2013 से जुलाई 2014 के मध्य) से यह तथ्य प्रकाश में आया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने विश्वविद्यालय परिसर मे दन्त विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को आवेदन किया (अप्रैल 2004) एवं वर्ष 2004–06[77] के मध्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को दन्त विज्ञान महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु ₹ 12.15 करोड़ (₹ 13.10 करोड़ में से) की धनराशि उपलब्ध करायी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने जुलाई 2004 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। जब कार्य प्रगति पर था तब विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित दन्त विज्ञान महाविद्यालय हेतु सितम्बर 2004 से मार्च 2006 की अवधि[78] में ₹ 27.90 लाख के उपकरण क्रय किये। जून 2006 में भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली

[75] वास्तविक प्रक्कलनः ₹ 3.83 करोड़, (जनवरी 2004), प्रथम पुनरीक्षणः ₹ 12.50 करोड़ ,(जुलाई 2004) एवं द्वितीय संशोधनः ₹ 13.10 करोड़ (फरवरी 2009)।

[76] विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा 8 अगस्त 2001 में किये गये मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैडिंग के अनुसार।

[77] जून 2004 एवं दिसम्बर 2005।

[78] ₹ 12.31 लाख के उपकरणों का मूल्य दर्शाता है।

के निरीक्षकों ने महाविद्यालय के संचालन हेतु भौतिक सुविधाओं जैसे भवन एवं उपकरण तथा शैक्षणिक स्टाफ की उपलब्धता एवं उनकी योग्यता व अनुभव आदि सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय का दौरा किया। निरीक्षकों ने दन्त कुर्सियों, संकाय (प्रोफेसरों, रीडरों, लेक्चररों) आदि में कमियाँ पायी। परिणामस्वरूप, भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली की कार्यकारी समिति ने विश्वविद्यालय को पाँच दिन के अन्दर कमियों को दूर करने के लिए कहा, परन्तु उन्हें दूर करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिर भी निर्माण कार्य चालू रहा तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने ₹ 12.91 करोड़ व्यय कर भवन निर्माण कार्य पूरा किया तथा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा नवम्बर 2010 में भवन अधिग्रहीत किया गया, परन्तु भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा दंत विज्ञान पाठ्यक्रम को मान्यता न दिए जाने के कारण दन्त विज्ञान पाठ्यक्रम मई 2014 तक प्रारम्भ नहीं हो सका।

इस प्रकार, ₹ 12.43 करोड़ (₹ 12.15 करोड़ भवन निर्माण पर व ₹ 27.90 लाख उपकरणों के क्रय पर) का व्यय किए जाने तथा भवन निर्माण पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के आठ वर्ष पश्चात् भी भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा दन्त पाठ्यक्रम को मान्यता न दिये जाने के कारण दन्त विज्ञान पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ ।

विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर (मई 2013) में बताया गया कि निर्मित भवन पैरा मेडिकल तथा आतिथ्य प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए उपयोग किया जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दन्त महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण के पूर्व ही पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम एक अन्य भवन में संचालित था तथा होटल एवं आतिथ्य प्रबंधन पाठ्यक्रम हेतु भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं था। इस प्रकार दंत महाविद्यालय हेतु निर्मित भवन का उपयोग प्रशासनिक समिति द्वारा प्राधिकृत उद्देश्य हेतु नहीं किए जाने से निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

वार्ता (दिसम्बर 2014) में शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.4.2 निष्फल व्यय

ट्रामा सेंटर स्थापित करने की निर्धारित तिथि के लगभग चार वर्ष बाद भी इटावा तथा फतेहपुर में ट्रामा सेंटर की स्थापना न होने तथा इसके निर्माण पर किये गये व्यय ₹ 1.30 करोड़ का अलाभकारी होना।

ट्रामा सेंटर[79] स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ट्रामा सेंटर हेतु क्षमता विकास में सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना की शुरुआत की एवं मानव शक्ति, भवन उपकरण, संचार, वैधानिक सहायता एवं डाटा एंट्री हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध करायी जानी थी।

भारत सरकार द्वारा जिला अस्पताल इटावा (जनवरी 2009 में ₹ 65 लाख) एवं जिला अस्पताल फतेहपुर (दिसम्बर 2008 में ₹ 65 लाख) के परिसर में भवन निर्माण हेतु ₹ 1.30 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को इटावा में मई 2010 तक एवं फतेहपुर में सितम्बर 2010 तक पूरा करने हेतु सौपा गया।

[79] ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल (पुरूष) इटावा एवं फतेहपुर के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच (इटावाः जनवरी 2014 एवं फतेहपुरः दिसम्बर 2013) से परिलक्षित हुआ कि भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को ₹ 1.30 करोड़ की धनराशि उपलब्ध[80] करायी गयी। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने इटावा में कार्य प्रारम्भ (नवम्बर 2009) किया तथा कार्य जुलाई 2010 में पूरा किया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, इटावा ने निर्मित भवन का अधिग्रहण अक्टूबर 2010 में किया। भारत सरकार ने मार्च 2011 में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को एम्बुलेंस उपलब्ध करायी एवं तीन वर्षों से अधिक समय के बाद अक्टूबर 2013 में उपकरण हेतु ₹ 2.45 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी, जो कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, इटावा के नाम से खोले गये बचत खाते[81] में अव्ययित पड़ी हुई थी (नवम्बर 2014)।

फतेहपुर में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने जनवरी 2010 में कार्य प्रारम्भ किया क्योंकि अपेक्षित भूमि तुरन्त उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। परिणामस्वरूप, शासन द्वारा भवन निर्माण पर व्यय का आकलन पुनरीक्षित (नवम्बर 2011) कर ₹ 1.01 करोड़ कर दिया गया। भवन निर्माण कार्य ₹ 65 लाख के व्यय के बाद भी जून 2014 तक अधूरा रहा क्योंकि आवश्यक अनुमति के बिना आकलन का संशोधन करने के कारण भारत सरकार द्वारा मूल एवं पुनरीक्षित अनुमान की अंतर धनराशि (₹ 36 लाख) अवमुक्त नहीं की गई थी। भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2012 में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, फतेहपुर को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई तथा एक वर्ष पश्चात् (दिसम्बर 2013) ₹ 2.45 करोड़ की धनराशि उपकरण आदि के लिये अवमुक्त की गई जो बचत बैंक खाते[82] में नवम्बर 2014 तक अव्ययित जमा थी।

इस प्रकार लगभग चार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी इन ट्रामा सेंटर के स्थापित न होने से इटावा तथा फतेहपुर में निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 1.30 करोड़ अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, बैंक के बचत खाते में लगभग एक वर्ष से ₹ 4.90 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध (नवम्बर 2014) थी।

वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षो तथा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया कि अंतर की धनराशि ₹ 36 लाख स्वीकृत की जा चुकी है (अगस्त 2014)। तथ्य यथावत रहा कि समापन की निर्धारित तिथि के लगभग चार वर्ष के पश्चात् भी ट्रामा सेंटरों की स्थापना नहीं हुई थी।

3.4.3 निष्फल व्यय

शासन के ढुलमुल रवैये के कारण 100 शैय्या युक्त अस्पताल स्वीकृति के सात वर्ष बाद भी नहीं बनने (नवम्बर 2014) के कारण इसके निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 13.77 करोड़ निष्फल रहा।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जुलाई 2006 की घोषणा का अनुपालन करते हुए शासन ने सिरौली गौसपुर, बाराबंकी में 100 शैय्या युक्त अस्पताल के निर्माण, जिसमें मुख्य भवन का निर्माण मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रांगण में किया जाना था एवं शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए भू–खण्ड पर चिकित्सा कर्मचारियों हेतु आवासों एवं नर्सों हेतु हॉस्टल का निर्माण भी सम्मिलित था, हेतु ₹ 12.41 करोड़ (पुनरीक्षित)[83] की

[80] इटावा (नवम्बर 2009: ₹ 35 लाख एवं जनवरी 2010: ₹ 30 लाख) एवं फतेहपुर (जनवरी 2010: ₹ 65 लाख)।
[81] खाता संख्या–27240100025515, बैक ऑफ बड़ौदा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, इटावा के पक्ष में।
[82] मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, फतेहपुर के पक्ष में खाता सं0–05660100028671, बैक ऑफ बड़ौदा ।
[83] मूल आगणन ₹ 11,30 करोड़।

धनराशि स्वीकृत की (नवम्बर 2006)। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपा (अक्टूबर 2006) गया जिसे दो चरणों[84] में पूरा करना था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (दिसम्बर 2013) कि शासन ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को ₹ 11.80 करोड़[85] की धनराशि अवमुक्त (2006–12) की। दिसम्बर 2006 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में मुख्य भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया। नवम्बर 2009 में जब निर्माण कार्य प्रगति पर था तभी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ ने प्रस्तावित अस्पताल हेतु उपकरण क्रय (लागतः ₹ 2.28 करोड़) करने के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया। शासन द्वारा फरवरी 2010 में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं ₹ 2.08 करोड़[86] की धनराशि स्वीकृत की गयी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी ने विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता[87] को मार्च 2010 में आपूर्ति आदेश दिया। मार्च 2010 में उपकरणों की आपूर्ति की गयी एवं ₹ 2.08 करोड़ का भुगतान (अप्रैल 2010) किया गया। सितम्बर 2010 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने ₹ 9.02 करोड़ की लागत से मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मार्च 2011 में अधिग्रहीत किया गया। शासन ने 100 शैय्या युक्त अस्पताल की स्वीकृति के पाँच वर्ष बाद चिकित्सा कर्मचारियों हेतु आवासों एवं नर्सों हेतु एक हॉस्टल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को भूमि उपलब्ध कराई (मार्च 2011)। भूमि मुख्य भवन से न केवल दो किलोमीटर दूर थी वरन् अगम्य भी थी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने चिकित्सा कर्मचारियों हेतु आवासों एवं नर्सों हेतु हास्टल का निर्माण कार्य मई 2011 में आरम्भ किया तथा ₹ 2.67 करोड़ की लागत से सितम्बर 2013 में पूरा किया। हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह संज्ञान में आया कि मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती न होने के कारण 100 शैय्या युक्त अस्पताल संचालित नहीं हुआ था तथा उपकरण क्रय के चार वर्ष बाद भी गोदाम में पड़े हुए थे।

इस प्रकार शासन के ढुलमुल रवैये के कारण 100 शैय्या युक्त अस्पताल सात वर्ष बाद भी संचालित नहीं हो सका (नवम्बर 2014 तक) जिससे इसके निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 13.77 करोड़ निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, चार वर्ष पूर्व क्रय किए गए उपकरण खराब होने की स्थिति मे थे।

नवम्बर 2014 में परिचर्चा के दौरान शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षो की पुष्टि की।



रखे हुए अप्रयुक्त चिकित्सा उपकरण दिनांक 28–12–2013

[84] प्रथम चरणः मुख्य भवन एवं द्वितीय चरणः चिकित्सा कर्मचारियों हेतु आवासों एवं नर्सों हेतु हास्टल।

[85] नवम्बर 2006: ₹ 2.50 करोड़, सितम्बर 2007: ₹ तीन करोड़, मार्च 2008: ₹ 5.79 करोड़, मार्च 2012: ₹ 20 लाख एवं नवम्बर 2012: ₹ 29.93 लाख।

[86] प्रस्तावित ₹ 2.28 करोड़ में से शासन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी को ₹ 2.08 करोड़ स्वीकृत किया।

[87] कंसार्ट लेबोरेटरीस लखनऊ, उत्तर प्रदेश इन्डस्टीयल कोआपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, कानपुर, आधुनिक सिस्टम कानपुर, राजा सर्जिकल लखनऊ, सिगमा कानपुर, विनायक बरेली, पुरी सर्जिकल लखनऊ, अमित इन्टर प्राइजेज लखनऊ, ओरिएन्टल बरेली तथा पूजा बाराबंकी। विक्रय इनवायस उपलब्धता के अनुसार उपकरणों की संख्या 1502 थी।

3.4.4 अविवेकपूर्ण निर्णय

तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद भी अस्पताल भवन, जिला फैजाबाद का निर्माण कार्य न केवल अपूर्ण था (₹ 51.34 करोड़) बल्कि बिना भवन की पूर्णता सुनिश्चित किये ₹ 4.40 करोड़ के उपकरण क्रय का निर्णय भी अविवेकपूर्ण था।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसरण में शासन द्वारा मार्च 2008 में जनपद फैजाबाद में 300 शैयायुक्त के अस्पताल भवन के निर्माण कार्य हेतु ₹ 54.05 करोड़ (पुनरीक्षित)[88] की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्च 2008) प्रदान की गई थी और निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को मार्च 2011 तक पूर्ण करने हेतु मार्च 2008 में सौंपा गया था।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, फैजाबाद के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2013) में पाया गया कि शासन द्वारा 2008–14 की अवधि में ₹ 51.34 करोड़ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को अवमुक्त किया गया था। जून 2008 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने कार्य प्रारंभ कर दिया था परन्तु चिन्हित स्थान पर वार्ड ब्लाक का निर्माण कार्य स्थानीय विवाद के कारण प्रारंभ नही किया गया था। फलस्वरूप, आउट–ले प्लान को पुनरीक्षित कर अनुमोदित (मई 2011) किया गया तथा मार्च 2012 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी किया गया। निर्देश के बावजूद नवम्बर 2014 तक निर्माण कार्य अपूर्ण रहा।

शासन द्वारा फरवरी 2010 में उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (₹ 6.19 करोड़) प्रदान की गई थी तथा ₹ 5.81 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उस समय तक (फरवरी 2010) निर्माण कार्य 51 प्रतिशत पूर्ण हुआ था। इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण था, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गयी तथा फरवरी 2010 एवं मार्च 2010 में ₹ 4.40 करोड़ के उपकरण[89] के क्रय हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये। उपकरण एवं अन्य सामग्रियों की मार्च 2010 में आपूर्ति की गई तथा ₹ 4.40 करोड़ का भुगतान (अप्रैल 2010) आपूर्तिकर्ताओं को किया गया। हालांकि, अस्पताल भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण था अतः उपकरणों को स्थापित नहीं किया गया तथा चार वर्ष बाद भी (जून 2014 तक) उपकरण स्टोर में रखे थे। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने नवम्बर 2014 तक 80 प्रतिशत निर्माण कार्य ₹ 51.34 करोड़ की लागत से पूर्ण किया ।

इस प्रकार न केवल निर्धारित तिथि के तीन वर्ष पश्चात् भी अस्पताल भवन अपूर्ण था (₹ 51.34 करोड़) बल्कि शासन द्वारा जनपद फैजाबाद में अस्पताल भवन का कार्य पूर्ण होना सुनिश्चित किये बिना उपकरण (₹ 4.40 करोड़) के क्रय का निर्णय अविवेकपूर्ण था।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

[88] शासनादेश संख्या 412/5-1-08-5(7)/08 दिनांक 28 मार्च 2008 ₹ 33.68 करोड़.के लिए।
[89] आपूर्तिकर्ता दो एवं मदों की संख्या (उपकरण एवं अन्य) 232 थीं।

राजस्व विभाग

3.4.5 निष्फल व्यय

संशोधित आगणन की स्वीकृति न होने के कारण प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास पूर्ण करने की तिथि के पाँच वर्ष बाद भी (अक्टूबर 2014 तक) अपूर्ण रहने के फलस्वरूप ₹ 4.16 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। प्रशिक्षणार्थियों को ठहरने की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य भी विफल रहा।

राजस्व विभाग के प्रशिक्षणार्थियो[90] को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत[91] राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भू–लेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के परिसर में छात्रावास[92] के निर्माण के लिए ₹ 4.16 करोड़ की स्वीकृति दी गयी (मार्च 2008)। निर्माण कार्य के अन्तर्गत छात्रावास, आवासीय भवनो[93] एवं अन्य कार्यों[94] के साथ–साथ भवन की साज–सज्जा भी सम्मिलित थी। उत्तर प्रदेश जल निगम को निर्माण कार्य मार्च 2008 में दिया गया जिसे अगस्त 2009 तक पूर्ण करना था। ₹ 4.16 करोड़ की धनराशि कोषागार, लखनऊ से आहरित की गयी (मार्च 2008) और उसे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा किया गया (मार्च 2008)।

कार्यालय जिलाधिकारी, हरदोई के अभिलेखो की जाँच (जनवरी 2014) में पाया गया कि उपरोक्त वैयक्तिक लेखा खाता से ₹ 4.16 करोड़ के आहरण की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जून 2008 में दी गयी और प्रस्तावित छात्रावास के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम को अगस्त 2008 में धनराशि उपलब्ध करायी गयी। उत्तर प्रदेश जल निगम ने अगस्त 2008 मे निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। तथापि, उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्य की धीमी गति के कारण छात्रावास और आवासीय भवनों का निर्माण कार्य संस्थान के परिसर में ₹ 4.16 करोड़ में अक्टूबर 2012 तक पूर्ण किया। अवशेष कार्य (विद्युत फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, रेलिंग कार्य, चहारदीवारी, मार्ग, मार्ग प्रकाश एवं भवन की साज–संज्जा) अधूरे थे (अक्टूबर 2014)। उत्तर प्रदेश जल निगम ने अवशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए ₹ 8.60 करोड़ का एक संशोधित आगणन शासन को प्रेषित किया (नवम्बर 2012) जो मुख्य रूप से मूल आगणन की धनराशि का दोगुना होने तथा निर्धारित विशिष्टियों में बिना औचित्य बदलाव किए जाने के कारण स्वीकृति के लिए लम्बित था (अक्टूबर 2014)।

इस प्रकार, संशोधित आगणन की स्वीकृति न होने के कारण, संस्थान परिसर में प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास का कार्य इसके पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के पाँच वर्ष बाद भी अक्टूबर 2014 तक अपूर्ण था जिससे इस पर ₹ 4.16 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य भी प्राप्त नही हुआ।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन ने आश्वासन दिया कि शीघ्र उत्तर दिया जायेगा एवं कार्य पूर्ण करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

[90] राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी आदि।
[91] भू–अभिलेखो का रख–रखाव एवं राजस्व प्रशासन मे सुधार।
[92] 100 प्रशिक्षणार्थी।
[93] टाइप तीन के भवनो की दो संख्या और टाइप पाँच के भवन की एक संख्या।
[94] मार्ग, चहारदीवारी एवं खेल मैदान का निर्माण, गली में प्रकाश, विद्युतीकरण आदि।

खेलकूद विभाग

3.4.6 निष्फल व्यय

जनपद सिद्धार्थ नगर के स्पोर्टस् स्टेडियम में तरण ताल के निर्माण पर किया गया ₹ 4.41 करोड़ का व्यय अनुचित नियोजन के कारण निष्फल रहा जिससे लक्षित एथलीटों को तरण ताल की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल रहा।

लोगों को तरण ताल की सुविधा उपलब्ध करवा कर तैराकी के क्षेत्र में प्रतिभाओं को विकसित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सिद्धार्थ नगर के स्पोर्टस् स्टेडियम में तरण ताल के निर्माण हेतु ₹ 5.03 करोड़ की स्वीकृति (फरवरी 2009) दी गई। निर्माण कार्य जिसमें ग्यारह कार्य[95] सम्मिलित थे, उत्तर प्रदेश जल निगम को जून 2011 तक पूर्ण किए जाने के लिए आवंटित (फरवरी 2009) किया गया।

जिला क्रीड़ा अधिकारी, सिद्धार्थ नगर के कार्यालय के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा तथा उसके पश्चात् एकत्रित सूचनाओं (क्रमशः दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2014) से ज्ञात हुआ कि शासन द्वारा सिद्धार्थ नगर में तरण ताल के निर्माण हेतु निदेशक, खेलकूद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये ₹ 5.03 करोड़ के प्रस्ताव (मई 2008) प्रस्ताव को शासन द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी 2009) प्रदान की गई। शासन द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को जून 2009 में भूमि उपलब्ध कराई गयी। उत्तर प्रदेश जल निगम के निदेशक द्वारा ₹ 5.27 करोड़ की लागत वाले तरण ताल के ले–आउट प्लान को जुलाई 2009 में तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। शासन द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को वर्ष 2009 से वर्ष 2013 के मध्य ₹ 5.03 करोड़[96] की धनराशि अवमुक्त की गई।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्माण कार्य जून 2009 में प्रारम्भ किया गया। हालांकि निदेशक, खेलकूद ने स्थलीय निरीक्षण (जुलाई 2009) में पाया कि ले–आउट प्लान की संरचना से स्टेडियम में पूर्व से स्थित एथेलिटिक ट्रैक के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना थी तथा तद्नुसार उत्तर प्रदेश जल निगम को निर्माण कार्य रोकने का निर्देश (अगस्त 2009) दिया। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अगस्त 2009 में कार्य रोक दिया गया परन्तु सचिव, खेलकूद की अध्यक्षता में हुई बैठक (नवम्बर 2009) में संशोधित ले–आउट प्लान की स्वीकृति (दिसम्बर 2009) पर निर्णय लिए जाने के उपरान्त दिसम्बर 2009 में कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया। धन की उपलब्धता के बावजूद कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी थी तथा कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (जून 2011) से तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण था (नवम्बर 2014 तक)। सितम्बर 2013 तक इस कार्य पर ₹ 4.41 करोड़ व्यय किया जा चुका था। इसी बीच उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पुनरीक्षित अनुमान ₹ 5.61 करोड़ प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 2012) जो निदेशक, खेलकूद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास स्वीकृति हेतु लंबित था (नवम्बर 2014)। इस प्रकार, सिद्धार्थनगर के स्पोर्टस् स्टेडियम में तरण ताल के निर्माण पर किया गया ₹ 4.41 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त, एथलीटों को तरण ताल की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हुआ।

शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2014) कि पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। हालांकि, प्रकरण पर चर्चा

[95] तरण ताल, प्रशिक्षु ताल, बैलेसिंग टैंक, बडा पैवेलियन, छोटा पैवेलियन, नलकूप व पम्प हाउस, प्लान्ट कक्ष, रेन वाटर हार्वैस्टिंग, फ्लड लाईटिंग, स्थल विकास एवं 50 केवीए जनरेटर की स्थापना।

[96] अगस्त 2009: ₹ 35.20 लाख, सितम्बर 2010: ₹ 4.80 लाख, मार्च 2010: ₹ 433.28 लाख एवं सितम्बर 2012: ₹ 29.52 लाख।

(नवम्बर 2014) के समय शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकडों को स्वीकार किया गया तथा बताया गया कि पुनरीक्षित आगणन को स्वीकृत कर कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। तथ्य यह ही है कि लक्षित एथलीटों को तरण ताल की सुविधा प्रदान किए जाने का उददेश्य प्राप्त नहीं हुआ।

3.4.7 अनुचित नियोजन

ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में वीआईपी पैवेलियन की ट्रस रूफिंग (आंकलित लागतः ₹ 26.18 करोड़) के निर्माण हेतु अनुचित नियोजन के कारण स्टेडियम का राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दिवा–रात्रि मैंचों से वंचित रहना।

ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय दिवा–रात्रि क्रिकेट मैचों के आयोजन हेतु शासन ने वर्ष 1999–2001 की अवधि में ₹ 6.56 करोड़ व्यय कर फ्लडलाइट टावर का निर्माण कराया।

अगस्त 2009 में शासन ने ट्रस रूफिंग[97] युक्त वीआईपी पैवेलियन के निर्माण के लिए ₹ 26.18 करोड़[98] की धनराशि स्वीकृत की तथा निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड को सौंपा गया (जुलाई 2008)। निर्माण कार्य दिसम्बर 2012 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया।

उप निदेशक, क्षेत्रीय क्रीड़ा कार्यालय, कानपुर के कार्यालय के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा (मई 2013) में यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड को ₹ 26.18 करोड़[99] की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। ट्रस रूफिंग की डिजाइन उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड द्वारा उपरोक्त पैवेलियन की स्थिति ध्यान में रखे बिना तैयार की गई थी जिससे फ्लडलाइट टावरों का प्रकाश बाधित हो रहा था। उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड ने तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही मार्च 2010 में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप, वीआईपी पैवेलियन के ट्रस रूफिंग के कारण मार्च 2013 में स्टेडियम में खेले गये दिवा–रात्रि क्रिकेट मैच के दौरान फ्लडलाइट का प्रकाश मैदान पर बाधित हुआ। इसी मध्य उप निदेशक, क्षेत्रीय क्रीड़ा कार्यालय, कानपुर द्वारा उपरोक्त तथ्य को अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड के संज्ञान में लाया गया (मार्च 2013)। अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि ट्रस रूफ की डिजाइन उप निदेशक, क्षेत्रीय क्रीड़ा कार्यालय, कानपुर द्वारा अनुमोदित थी (जनवरी 2010) तथा यह भी बताया कि निर्माण कार्य खेलकूद विभाग तथा जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा नामित अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया गया। हालांकि, ट्रस रूफिंग युक्त वीआईपी पैवेलियन का निर्माण कार्य जारी रखा गया एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड द्वारा ₹ 26.18 करोड़ व्यय करने के बाद कार्य पूर्ण कर नवम्बर 2013 में विभाग को हस्तान्तरित किया गया।

इस प्रकार, अनुचित नियोजन से निर्मित ट्रस रूफिंग से विद्यमान फ्लड लाईट के प्रकाश बाधित होने के कारण स्टेडियम राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दिवा–रात्रि मैंचों के आयोजन एवं उनसे होने वाले राजस्व/अर्जन से भी वंचित रहा।

उप–निदेशक, क्षेत्रीय क्रीड़ा, कानपुर द्वारा उत्तर में बताया गया (मई 2013) कि फ्लडलाइटों के टावर को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही थी। हालांकि,

[97] लागत वृद्धि के कारण नवम्बर 2012 में पुनरीक्षित।
[98] धातु से बनी छत जो इतनी कसकर बंधी रहती है कि हिल नहीं सकती।
[99] 2009–10: ₹ 1.60करोड़, 2010–11: ₹ 5.00करोड़, 2011–12: ₹ 2.77करोड़, 2012–13: ₹ 14.00करोड़ एवं 2013–14: ₹ 2.81करोड़।

जून 2014 में उप–निदेशक, क्षेत्रीय क्रीड़ा, कानपुर द्वारा सूचित किया गया कि किसी भी दिवा रात्रि मैच का आयोजन न होने के कारण अभी तक उपरोक्त कार्य हेतु कोई भी आगणन तैयार नहीं किया गया।

चर्चा (दिसम्बर 2014) के दौरान शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया तथा आश्वासन दिया गया कि प्रकरण पर विचार करके उस पर लिए गये निर्णय से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

3.4.8 अलाभकारी व्यय

तालमेल के अभाव तथा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना निचली रोहिणी बांध का निर्माण कार्य शुरू किये जाने के कारण ₹ 157.80 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (अधिनियम) के अध्याय–4, प्रस्तर 4.4 के अनुसार ऐसे प्रकरणों जिनमें निर्माण कार्य के कुछ हिस्सों में वन भूमि सम्मिलित हो वहाँ पर गैर वन भूमि में भी तब तक कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वन भूमि के गैर वन प्रयोजनार्थ स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त न कर ली जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 378 के अनुसार भी किसी भूमि पर तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उत्तरदायी सिविल अधिकारियों द्वारा भूमि उपलब्ध न करा दी जाय।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड–3, ललितपुर के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2014) में पाया गया कि ललितपुर जनपद में 1,900 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा महरौनी तहसील में रोहिणी नदी पर निचले रोहिणी बांध (मिट्टी का बांध) के निर्माण हेतु ₹ 60.93 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी 2008) प्रदान की गयी। कार्य की मात्रा, श्रम एवं सामग्री मूल्यों में वृद्धि एवं पुर्नस्थापन कार्यों की लागत सम्मिलित किये जाने के कारण व्यय–वित्त समिति द्वारा जून 2010 में परियोजना की पुनरीक्षित लागत ₹ 174.26 करोड़ की गयी। शासन द्वारा मई 2011 में पुनरीक्षित लागत हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। व्यय–वित्त समिति ने पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति प्रदान करते समय निर्देशित किया था कि परियोजना मार्च 2012 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

यह देखा गया कि परियोजना हेतु, 693.14 हेक्टेयर[100] भूमि आवश्यक थी जिसमें 32.315 हेक्टेयर वन भूमि सम्मिलित थी जिसके लिए अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विपरीत भूमि का अधिग्रहण एवं वन भूमि का उपयोग गैर वन प्रयोजनार्थ भारत सरकार से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कार्य वर्ष 2008–09 में प्रारम्भ किया गया। परियोजना पर नवम्बर 2014 तक ₹ 157.80 करोड़ का व्यय किया गया था जबकि 238.96 हेक्टेयर भूमि जिसमें कि 32.315 हेक्टेयर वन भूमि सम्मिलित थी, अधिग्रहीत की जानी शेष थी (नवम्बर 2014)। यहाँ तक कि वन भूमि के गैर वन प्रयोजनार्थ प्रस्ताव भी विलम्ब से जून 2010 में सामाजिक वानिकी प्रखण्ड, ललितपुर को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2014 तक वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति नहीं दी गयी थी एवं परियोजना के पूर्ण होने

[100] डूबा क्षेत्रः 603.262 हेक्टेयर, नहरः 82.704 हेक्टेयर एवं पुर्नस्थापनाः 7.179 हेक्टेयर।

की निर्धारित तिथि से दो वर्ष एवं आठ माह पश्चात भी परियोजना अपूर्ण थी, जिसके कारण नवम्बर 2014 तक किया गया ₹ 157.80 करोड़[101] का व्यय अलाभकारी रहा।

खण्ड ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2014) कि सामाजिक वानिकी प्रखण्ड, ललितपुर को वन भूमि के गैर वन भूमि प्रयोजनार्थ प्रस्ताव जून 2010 में प्रेषित किया गया था जो कि पत्राचार[102] स्तर में था तथा भूमि के हस्तांरण हेतु प्रयास किये जा रहे थे। उत्तर से पुष्टि होती है कि परियोजना का कार्य वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वित्तीय नियमों का उल्लघंन करते हुए शुरू किया गया जिसके कारण न केवल निर्धारित समय में परियोजना पूर्ण की जा सकी वरन् ₹ 157.80 करोड़ का किया गया व्यय भी अलाभकारी रहा।

शासन द्वारा वार्ता (नवम्बर 2014) में तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि वन भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

इस प्रकार, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से वन भूमि के उपयोग हेतु स्वीकृति की प्राप्ति एवं वित्तीय नियम के अनुसार आवश्यक भूमि को अधिग्रहीत करने के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निचले रोहिणी बांध परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किये जाने के फलस्वरूप नवम्बर 2014 तक किया गया ₹ 157.80 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

लघु सिंचाई विभाग

3.4.9 ₹ 3.03 करोड़ का निष्फल व्यय

बाँदा एवं हमीरपुर जनपदों में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्मित रिचार्ज पिटों की साध्यता को सुनिश्चित किये जाने में विलम्ब के कारण वर्ष 2010–11 से वर्ष 2012–13 की अवधि में उनके निर्माण पर व्यय की गयी ₹ 3.03 करोड़ की धनराशि निष्फल रही।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशसंख्या–1973/62–2–2010–2/2 (47)/08 टीसी लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–2, लखनऊ दिनांक 11 मई 2010 द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कूपों पर डगवेल रिचार्ज का कार्य लघु सिंचाई विभाग को सौंपा गया जिसके लिए ₹ 300 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (अगस्त 2010)। बुन्देलखण्ड पैकेज हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों (मई 2010) में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि डगवेल रिचार्ज का कार्य केवल उन्हीं कूपों पर किया जायेगा जिनका गहरीकरण/जीर्णोद्धार करा लिया गया हो। डगवेल रिचार्ज के निर्माण की योजना का लक्ष्य भू–जल स्थिति में सुधार द्वारा सिंचन क्षमता में वृद्धि किया जाना था।

अग्रेतर, भारत के योजना आयोग के अधीन गठित राष्ट्रीय वर्षा जल सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के तकनीकी विशेषज्ञ ने सलाह दी थी (नवम्बर 2010) कि नदियों की मिट्टी से निर्मित विशाल मैदानों वाले बाँदा एवं हमीरपुर जनपदों में कूपों का गहरीकरण एवं रिचार्ज पिट की उपयोगिता नहीं थी क्योंकि गहरीकरण के दौरान कूपों के ध्वस्त होने का खतरा था साथ ही कृषकों का रूझान नलकूपों की ओर होने के कारण सिंचाई के लिए भी उपयोगी नहीं थे।

[101] हेड वर्क्स ₹ 106.33 करोड़.+ मुख्य नहर एवं शाखाएँ ₹ 35.01करोड़ + अन्य मद ₹ 16.46 करोड़ = ₹ 157.80 करोड़।

[102] दिनांकः: 05.07.2010, 01.09.2010, 21.09.2010, 25.02.2011,17.03.2012, 09.01.2014, 01.02.2014 एवं 03.02.2014।

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, बाँदा (मार्च 2013) एवं अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, हमीरपुर (मई 2014) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नवम्बर 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य दिशा–निर्देशों के प्रावधान के विपरीत मौजूदा कूपों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार सुनिश्चित किये बिना क्रमशः ₹ 1.67 करोड़ एवं ₹ 1.36 करोड़ व्यय करके 766 एवं 910 रिचार्ज पिट बनाये गये। परिणामस्वरूप वहाँ सिंचन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, बाँदा ने स्वीकार किया कि कूपों का गहरीकरण अव्यवहारिक होने के कारण सिंचन क्षमता में वृद्धि नहीं हुयी तथा बताया कि योजना के अन्तिमीकरण हेतु प्रथम चरण में प्रारम्भ किये गये रिचार्ज पिटों के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये एवं ये वर्षा जल के भण्डारण तथा भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाने हेतु उपयोगी थे। अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, हमीरपुर ने उत्तर दिया कि डगवेल रिचार्ज एवं कूपों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार दोनों पृथक कार्य थे तथा किसी एक की उपयोगिता दूसरे पर आश्रित नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिशा–निर्देशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि रिचार्ज पिट के कार्य को निष्पादित किये जाने के पूर्व कूपों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार अनिवार्य था। अग्रेतर, शासन ने भी निर्देशित किया था (मई 2012) कि उन जनपदों में जहाँ गहरीकरण का कार्य नहीं किया जाना था वहाँ कोई रिचार्ज पिट नहीं बनाये जायेंगे। इससे सिद्ध होता है कि कूपों का गहरीकरण एवं रिचार्ज पिटों के निर्माण पृथक कार्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013–14 में राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किये गये मूल्यांकन अध्ययन में भी इसकी पुष्टि की गयी कि इन रिचार्ज पिटों की कोई उपयोगिता नहीं थी।

इस प्रकार, दिशा–निर्देशों की अवहेलना एवं इन दोनो जनपदों में रिचार्ज पिटों के निर्माण पर तकनीकी विशेषज्ञ की अनुशंसाओं पर सरकार की विलम्ब से प्रतिक्रिया के कारण ₹ 3.03 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

चर्चा (नवम्बर 2014) में, शासन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

लोक निर्माण विभाग

3.4.10 अलाभकारी व्यय

स्वीकृति के ग्यारह वर्षो के उपरान्त भी अमेठी बाईपास मार्ग के अपूर्ण रहने के कारण उस पर व्यय की गई धनराशि ₹ 2.02 करोड़ अलाभकारी रही।

वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 378 के अनुसार उत्तरदायी सिविल अधिकारी से आवश्यक भूमि प्राप्त किए बिना कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अमेठी के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी/मार्च 2013) एवं अग्रेतर संकलित सूचना (मार्च 2014) से ज्ञात हुआ कि भारी यातायात के परिचालन के कारण अमेठी टाउन एरिया में यातायात जाम की समस्या के तत्काल समाधान हेतु शासन द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि के अर्न्तगत ₹ 2.42 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 5.80 किमी लम्बे अमेठी बाईपास मार्ग के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (अगस्त 2003) की गयी। मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद द्वारा अमेठी बाईपास मार्ग के विस्तृत आगणन पर ₹ 2.42 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (मार्च 2004) की गयी जिसमें 67 सेमी की

आवश्यक क्रस्ट मोटाई के सापेक्ष 32 सेमी क्रस्ट मोटाई का प्रावधान था। अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद वृत्त, फैजाबाद द्वारा अमेठी बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 2.68 करोड़ की लागत का एक अनुबंध संख्या 06/एसई फैजाबाद/03–04 गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य के समापन की नियत तिथि सितम्बर 2005 थी।

अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि 5.80 किमी लम्बाई हेतु आवश्यक सम्पूर्ण भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, मात्र किमी 2 से 5.80 तक के भाग की भूमि–उपलब्धता के आधार पर, मार्च 2004 में अमेठी बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। जबकि अवशेष भाग (किमी 0 से 2) की भूमि कार्य के नियत समापन की तिथि के उपरान्त अप्रैल 2006 में प्राप्त हुयी। ठेकेदार द्वारा 3.80 किमी लम्बाई का कार्य पूर्ण (मार्च 2007) कराया गया तथा किमी 0 से 2 तक विभिन्न भागो में कुछ मिटटी का कार्य (1.60 किमी लम्बाई) मार्च 2007 तक कराया गया। कार्य समापन की नियत तिथि के उपरान्त मार्ग के किमी 0 से 2 तक के अवशेष भाग की भूमि उपलब्ध कराने के कारण ठेकेदार द्वारा श्रम व सामग्री की दरों में वृद्धि के आधार पर दरों के पुनरीक्षण की मांग की गयी। विभाग ने मार्च 2007 तक सम्पादित कार्य के आधार पर अनुबन्ध को अन्तिमीकृत कर दिया (जुलाई 2010)। अमेठी बाईपास मार्ग के अपूर्ण निर्माण कार्य पर अक्टूबर 2014 तक ₹ 2.02 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी।

यह भी पाया गया कि आवश्यक 67 सेमी पेवमेंट क्रस्ट के स्थान पर अपर्याप्त 32 सेमी क्रस्ट का प्रावधान किये जाने के कारण आंशिक निर्मित अमेठी बाईपास मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी थी। ठेकेदार द्वारा कार्य सम्पादन की अवधि में क्रस्ट की अपर्याप्तता सम्बन्धी तथ्य को अधिशासी अभियन्ता के संज्ञान में लाया गया था। यद्यपि, मार्ग के निर्मित भाग हेतु एग्रीगेट ड्रेन सहित किमी 0 से 2 तक के अवशेष भाग हेतु 67 सेमी क्रस्ट मोटाई का प्रस्ताव उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की स्वीकृति हेतु प्रेषित (जुलाई 2011) किया गया था जो अभी भी (अक्टूबर 2014) प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया (मार्च 2013 एवं मार्च 2014) कि पुनरीक्षित प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के अनुमोदन के उपरान्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वित्तीय नियमों के विपरीत आवश्यक सम्पूर्ण भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया था। अग्रेतर, राज्य आकस्मिकता निधि के अंतर्गत स्वीकृत अमेठी बाईपास मार्ग का निर्माण अमेठी टाउन एरिया में जाम की समस्या से तत्काल समाधान के मूल उद्देश्य को पूर्ण करने में विफल रहा क्योंकि मार्ग के दोनों सिरों को अभी भी (अक्टूबर 2014) जोड़ा जाना बाकी है।

इस प्रकार, स्वीकृत 5.80 किमी लम्बाई के सापेक्ष, अपर्याप्त क्रस्ट के साथ 3.80 किमी लम्बाई में आंशिक निर्मित अमेठी बाईपास मार्ग समयावधि के पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गया। अमेठी टाउन एरिया में जाम की समस्या के समाधान का मूल उददेश्य प्राप्त नहीं हुआ एवं इस पर ₹ 2.02 करोड़ का किया गया व्यय भी अलाभकारी था। अग्रेतर, राज्य आकस्मिकता निधि के अर्न्तगत कार्य की स्वीकृति प्रदान किया जाना एवं धनराशि उपलब्ध कराना भी औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि स्वीकृति के ग्यारह वर्षों के उपरान्त भी निर्माण कार्य अपूर्ण था।

शासन ने वार्ता (नवम्बर 2014) में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए स्वीकार किया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के पूर्व आवश्यक सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण

सुनिश्चित न किये जाने के कारण कार्य अपूर्ण था। शासन द्वारा प्रकरण में जाँच एवं यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने का भी आश्वासन दिया गया।

3.4.11 ₹ 5.24 करोड़ का अलाभकारी व्यय

खो नदी के हाइड्रोलॉजिकल स्टडी यथा प्रवाह–व्यवहार का अध्ययन किये बिना सेतु निर्माण, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण पर ₹ 5.24 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टि[103] के अनुसार सेतु एवं पहुँच मार्गों के निर्माण हेतु जल प्रवाह एवं अनुवर्ती जल स्तरों का विश्वसनीय आंकलन आधारभूत आवश्यकता है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद, बिजनौर की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2013) में पाया गया कि जनपद बिजनौर में सारंगवाला गांव के निकट खो नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 4.38[104] करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत (जुलाई 2008) की गयी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ₹ 3.36 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सेतु[105] के निर्माण एवं निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग ₹ 1.02 करोड़ की लागत से सेतु के दोनों ओर पहुँच मार्ग व अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु उत्तरदायी थे। मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद द्वारा पहुँच मार्ग व अतिरिक्त पहुँच मार्ग के कार्य की तकनीकी स्वीकृति फरवरी 2010 में प्रदान की गयी थी।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम[106] ने सेतु सर्वेक्षण कार्य किया एवं सेतु के संरेखण हेतु तीन[107] विकल्प प्रस्तावित किये। स्थल चयन समिति[108], जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के सदस्य सम्मिलित थे, ने इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के विरूद्ध बाढ़ प्रवाह/बाढ़ प्रवाह गति, बाढ़ प्रवाह व्यवहार एवं नदी के अनुवर्ती जल स्तरों का आकलन किए बिना सेतु निर्माण हेतु उपलब्ध तीन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय लिया (अप्रैल 2009)।

सेतु एवं पहुँच मार्गो का निर्माण कार्य क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एवं निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद, बिजनौर द्वारा प्रारम्भ किया गया। परन्तु जब सेतु निर्माण कार्य प्रगति में था तब बाढ़ (सितम्बर 2010) के कारण नदी की धारा बायीं तरफ (सारंगवाला गाँव की तरफ) परिवर्तित हो गयी जिसने दोनों तरफ हुए पहुँच मार्गो के निर्माण कार्य को क्षतिग्रस्त कर दिया। अधिशासी अभियन्ता ने सिविल अभियान्त्रिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की (आईआईटी) से नदी के हाइड्रोलॉजिकल स्टडी किये जाने का अनुरोध (दिसम्बर 2010) किया। आईआईटी ने नदी की धारा को सेतु की तरफ लाने हेतु गाइड बंध व काजवे के निर्माण की अनुशंसा करते हुए अपना प्रतिवेदन निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद, बिजनौर प्रस्तुत किया (अप्रैल 2011)।

[103] आईआरसीः एसपी 54–2000 की प्रस्तर संख्या 5.3.7।

[104] सेतु की लागतः ₹ 3.36 करोड़ व पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग की लागत ₹ 1.02 करोड़।

[105] सेतु की लम्बाई 179.30 मीटर।

[106] अमरोहा इकाई।

[107] विकल्प–1: नदी की धारा के लम्बवत् सेतु का संरेखण जिसमें दोनों सिरे सीधे जुड़ते है, विकल्प–2 सारंगवाला गाँव की तरफ कटान कर रही नदी के अपस्ट्रीम में सेतु संरेखण, विकल्प 3: डाउन स्ट्रीम जहाँ नदी की धारा फैलती है, में सेतु संरेखण।

[108] शामिल तीन सदस्य 1. अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रामपुर, 2. महाप्रबंधक बरेली/मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, बरेली 3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (डिजाईन), उत्तर प्रदे'ा राज्य सेतु निगम, लखनऊ।

विभाग ने आईआईटी, रूड़की की अनुशंसा पर तत्परता से कोई कार्यवाही नहीं की। इस बीच, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने ₹ 4.34 करोड़ की धनराशि व्यय कर के मार्च 2012 तक सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया एवं निर्माण खण्ड– II, लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद, बिजनौर द्वारा पहुँच मार्ग/अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण पर ₹ 90 लाख की धनराशि व्यय (मार्च 2012) की गयी। मुख्य अभियन्ता ने मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से स्थल की जाँच एवं कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक हाई पावर कमेटी के गठन का अनुरोध (अक्टूबर 2012) किया। अग्रेतर, वर्ष 2013–14 की बाढ़ में नदी ने अपनी धारा पुनः परिवर्तित कर दी एवं निर्मित सेतु से 200–250 मीटर दूर बह रही थी। मुख्य अभियन्ता द्वारा आईआईटी, रूड़की की अनुशंसाओं को सम्मिलित करते हुए ₹ 12.33 करोड़ का एक पुनरीक्षित आगणन विलम्ब से (मार्च 2013) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को प्रेषित किया गया जिसने इसे प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को अग्रसारित (नवम्बर 2013) किया। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा ₹ 12.42 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन जिसे प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनरीक्षित कर ₹ 12.65 करोड़ किया गया, शासन को जनवरी 2014 में प्रेषित किया गया जिसकी स्वीकृति अक्टूबर 2014 तक प्रतीक्षित थी।

यह स्पष्ट था कि स्थल चयन समिति द्वारा खो नदी के जल प्रवाह व अनुवर्ती जल स्तरों आदि का विश्वसनीय आकलन किए बिना अपर्याप्त सर्वेक्षण के आधार पर संरेखण का निर्णय किया गया जिसके परिणामस्वरूप नदी की धारा में प्रायः परिवर्तन हुआ। निर्मित सेतु के सूखे स्थान में आ जाने के कारण आम जनता के लिए अनुपयोगी निर्मित सेतु, पहुँच मार्ग व अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 5.24 करोड़ अलाभकारी था।

लेखापरीक्षा में इंगित (दिसम्बर 2013) किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के संयुक्त अध्ययन के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्थल चयन समिति जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के सदस्य सम्मिलित थे, द्वारा बाढ़ प्रवाह/बाढ़ प्रवाह गति, बाढ़ प्रवाह व्यवहार एवं अनुवर्ती जल स्तरों के आवश्यक आकलन हेतु हाइड्रोलाजिकल अध्ययन किए बिना ही सेतु निर्माण स्थल का चयन किया गया।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकडों की पुष्टि करते हुए निर्मित सेतु को उपयोगी बनाए जाने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

3.4.12 अलाभकारी व्यय

स्वीकृति के छः वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी सेतु, इसके पहुँच मार्गों एवं बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य समक्रमिक न होने के कारण अपूर्ण रहा, जिसके कारण इन पर किया गया ₹ 121.34 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के निर्देशानुसार (अगस्त 2005) सेतु निर्माण, पहुँच मार्गों इत्यादि का कार्य इस प्रकार समक्रमिक किया जाए कि उक्त निर्माण के पूर्ण होने के उपरान्त तुरन्त जनता को अभिप्रेत हित लाभ प्राप्त हो सके।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बाँदा की लेखापरीक्षा (जनवरी 2013) एवं अग्रेतर संकलित सूचना (मई 2014) में ज्ञात हुआ कि बाँदा शहर में भारी वाहनों के डायवर्जन द्वारा यातायात सघनता से निदान एवं दुर्घटनाओं[109] से बचाव हेतु शासन द्वारा ₹ 40.01 करोड़ की लागत से 16.50 किमी लम्बे दो–लेन बाईपास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान (अक्टूबर 2007) की गयी। उक्त बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग–76 के किमी 209 से प्रारम्भ होकर प्रस्तावित बाईपास के चैनेज किमी 2.680 पर केन नदी को पार करते हुए बाँदा–नरैनी–कालिंजर मार्ग में समाप्त होना था। मुख्य अभियन्ता, झाँसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (दिसम्बर 2007) की गयी। बाँदा शहर की यातायात सघनता को देखते हुए प्रमुख अभियन्ता ने उक्त बाईपास को दो–लेन से चार–लेन किये जाने का निर्णय (जुलाई 2008) लिया। तद्नुसार शासन द्वारा 18.600 किमी लम्बे बाईपास लागत ₹ 73.98 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति (दिसम्बर 2008) एवं मुख्य अभियन्ता, झाँसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा समान लागत की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2009) की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, बाँदा वृत्त द्वारा कार्य सम्पादन हेतु जुलाई 2010 में कार्य समापन की नियत तिथि के साथ दो अनुबन्ध[110] गठित किए गये।

अग्रेतर, शासन द्वारा ₹ 30.57 करोड़[111] की लागत से निर्मित होने वाले 400 मीटर पहुँच मार्गों सहित केन नदी पर 479.80 मीटर लम्बे सेतु के निर्माण की स्वीकृति प्रदान (अगस्त 2008) की गयी। पहुँच मार्गों एवं सेतु निर्माण का कार्य क्रमशः लोक निर्माण विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा सम्पादित कराया जाना था। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित सेतु के दोनों तरफ 200 मीटर लम्बे पहुँच मार्गों के निर्माण हेतु दो अनुबन्ध[112] गठित (जुलाई 2010) किए गये।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेतु एवं पहुँच मार्गों का निर्माण कार्य बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य के साथ समक्रमिक रूप से नहीं किया गया। साथ ही, बाईपास के चैनेज किमी 17.800 से 18.100 (300 मीटर) तक की आवश्यक भूमि अधिग्रहीत नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2014 तक सम्पूर्ण स्वीकृत लागत ₹ 73.98 करोड़ के व्ययोपरान्त भी, बाईपास के पूर्ण स्वीकृत लम्बाई 18.600 किमी के सापेक्ष भौतिक प्रगति विच्छिन्न चैनेजों[113] में 85 प्रतिशत ही थी। अग्रेतर, अक्टूबर 2014 तक मूल स्वीकृत लागत ₹ 22.76 करोड़ के सापेक्ष लगभग 74 प्रतिशत अधिक अर्थात् ₹ 39.55 करोड़ की धनराशि व्यय किए जाने के उपरान्त भी सेतु निर्माण की भौतिक प्रगति 62 प्रतिशत[114] ही थी। अक्टूबर 2014 तक, सेतु के दोनों तरफ पहुँच मार्गों की भौतिक प्रगति ₹ 7.81 करोड़ की धनराशि व्यय किए जाने उपरान्त 45 प्रतिशत थी। बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु, पुनः पुनरीक्षित आगणन प्रेषित नहीं (अक्टूबर 2014) किया गया था यद्यपि, शासन की स्वीकृति हेतु सेतु (₹ 64.74 करोड़) एवं पहुँच मार्गों (₹ 14.11 करोड़) के प्रेषित (मई 2014) पुनरीक्षित आगणन पर शासन की स्वीकृति अक्टूबर 2014 तक प्रतीक्षित थी। सेतु का निर्माण कार्य मार्च 2012 से रूका हुआ था।

[109] वर्ष 2010–11 से 2014–15 (अगस्त 2014 तक) की अवधि में भारी वाहनों से दुर्घटनाओं की संख्याः 78, मृत्युः 59, घायलों की संख्याः 77।

[110] 20/एसई/2007–08 दिनांक 31.12.2007 (कार्य प्रारम्भ तिथि) लागत ₹ 34,24,80,091.00 एवं 03/एसई/2008–09 दिनांक 04.8.2009 (कार्य प्रारम्भ तिथि) लागत ₹ 21,43,29,796.00।

[111] ₹ 780.96 लाख दोनों तरफ पहुँच मार्ग हेतु एवं ₹ 2,276.30 लाख केन नदी पर सेतु निर्माण हेतु।

[112] 20/एसई/2010–11 दिनांक 01.07.2010 लागत ₹ 94,72,705.00 एवं 21/एसई/2010–11 दिनांक 01.07.2010 लागत ₹ 94,67,959.00।

[113] किमी 0.00 से 15.350, 15.450 से 16.700 तक एसडीबीसी स्तर तक कार्य; किमी0 15.350 से 15.450, 16.700 से 16.860, 16.860 से 16.960, 16.960 से 17.800 एवं 18.100 से 18.600 तक कलवर्ट व मिटटी कार्य तथा किमी0 17.800 से 18.100 में भूमि अधिग्रहण न होने से कोई कार्य नहीं कराया गया था।

[114] फाउन्डेशन कार्य–40 प्रतिशत + सब स्ट्रक्चर 09 प्रतिशत + सुपर स्ट्रक्चर 13 प्रतिशत = 62 प्रतिशत

इस प्रकार, बाईपास मार्ग (₹ 73.98 करोड़), सेतु (₹ 39.55 करोड़) एवं पहुँच मार्गों (₹ 7.81 करोड़) पर किया गया कुल ₹ 121.34 करोड़ का व्यय अलाभकारी था क्योंकि नियत समापन तिथि से चार वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी बाईपास, सेतु एवं पहुँच मार्गों का निर्माण अपूर्ण था। परिणामस्वरूप, बाँदा शहर में भारी वाहनों के डायवर्जन द्वारा यातायात सघनता से निदान एवं दुर्घटनाओं से बचाव का वाँक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुए बाईपास के निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में अवशेष भूमि के अधिग्रहण एवं रेलवे विभाग से लेबल क्रासिंग/रेल उपरिगामी सेतु बनाये जाने हेतु समन्वय स्थापित किए जाने की कार्यवाही को गति प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया। तथ्य यह है कि बाईपास मार्ग के पूर्ण न होने के कारण वाँक्षित उद्देश्य अभी भी अप्राप्त रहा।

(मुकेश पी सिंह)

इलाहाबाद प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)

दिनांक 21 जनवरी 2015 उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक 23 जनवरी 2015